रजि० सं० डी-(डी)--73

REGISTERED NO. (D) (D)--73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 1977 (अग्रहायण 19, 1899)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 1977 (AGRAHAYANA 19, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० ए०-35017/1/75-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 22-9-1975 के अनुक्रम में केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी श्री एच० आर० सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप II के लेखा अधिकारी के राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 9-9-1977 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये अथवा अग्रेतर आदेश तक जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है ।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 नवम्बर 1977

सं० ए-33012/1/75-प्र०-II—मणीपुर में अपने कार्यकारी प्रशिक्षण की समाप्ति पर, श्री एल० बी० सिनाटे ने 22 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सेवा सवर्ग में अनुभाग अधिकारी पद का कार्यभार संभाल लिया ।

प्रभात नाथ मुखर्जी,
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

प्रवर्तन निदेशालय

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 अगस्त 1977

स० ए-11/12/77—श्री डी० एन० बजाज, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अण्डीगढ़ को दिनांक 6-8-1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 25 अगस्त 1977

स० ए-11/19/77—श्री लाभ सिंह, निरीक्षक, आयकर, पटियाला को प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर क्षेत्रीय

कार्यालय में दिनांक 10-8-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये प्रवर्तन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 24 अक्तूबर 1977

सं० ए-11/24/77—श्री जी० एस० बिरदी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, चण्डीगढ़ को इसके द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 10-10-77 से अगले आदेशों तक के लिये प्रवर्तन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

जे० एन० अरोड़ा,
उप निदेशक
(प्रशासन)

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 अक्तूबर 1977

सं० ए-11/22/77—श्री एम० के० चक्रबर्ती, अधीक्षक, कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय को प्रवर्तन निदेशालय के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 3-10-1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिये मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एस० बी० जैन, निदेशक

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 नवम्बर 1977

सं० ओ० दो०-227/69-स्थापना—श्री हेमा राम ने उनके सूबेदार के पद पर परावर्तित होने के फलस्वरूप, उप-पुलिस अधीक्षक, 20वी वाहिनी, के० रि० पु० दल पद का कार्यभार 28-10-1977 (पूर्वाह्न) को त्याग दिया।

स० डी० एफ०-12/77-स्थापना—निम्नलिखित अधिकारी, उनकी सेवाये आई० टी० बी० पी० द्वारा के० रि० पु० दल को निर्वातित करने के फलस्वरूप , उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके समक्ष दी हुई तिथियो मे यूनिटो में नियुक्त किये जाते है —

क्र० स०	अधिकारी का नाम	जिस यूनिट में स्थानापन्न किया गया	आई० टी० बी० पी० मे प्रत्यावर्तन पर उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की तिथि
1	श्री के० एन० लोहानी	23 वाहिनी	17-10-77
2.	श्री ओम प्रकाश	42 वाहिनी	25-10-77

सं० डी० एफ० 12/77-स्थापना—श्री डी० सी० कौशिक की सेवायें आई० टी० बी० पी० द्वारा के० रि० पु० दल की निर्वातित करने के फलस्वरूप, उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर 22-10-77 (पूर्वाह्न) से ग्रुप सैन्टर, जम्मू में नियुक्त किए जाते है।

दिनांक 21 नवम्बर 1977

स० ओ० दो-1333/76-स्थापना—श्री एम० के० चेतरी ने उनके सिक्कम पुलिस में प्रत्यावासन होने के फलस्वरूप उप-पुलिस अधीक्षक, से 36वीं वाहिनी के० रि० पु० दल का पद का कार्यभार 16-10-77 (अपराह्न) को त्याग दिया।

सं० ओ-II-23/77-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री आर० के० ओहरी, संघ शासित क्षेत्र संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में उनकी प्रतिनियुक्ति पर उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते है ।

2. श्री ओहरी ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के उप निदेशक, आई० एस० ए० माऊंट आबू के पद का कार्यभार दिनांक 26 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से संभाला ।

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 नवम्बर 1977

स० ए-38/15/75-बेतार—श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में अपनी नियुक्ति 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान पर अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद का कार्यभार आगामी आदेश तक दिनांक 9 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न में संभाला ।

छत्रपति जोशी, निदेशक,
पुलिस दूर-संचार

महानिरीक्षक का कार्यालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110024 दिनांक, 16 नवम्बर 1977

सं० ई० 16014(2)/4/77-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, श्री के० डी० नायर, भारतीय पुलिस सेवा (संघ शासित क्षेत्र-1967) ने 17 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एफ० सी० आई० नया नागल में कमाडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया।

स० ई-16016/2/77-कार्मिक—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, उसी मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री एम० आर० नरोना ने 27 अक्तूबर, 1977 के अपराह्न से महानिरीक्षक के० औ० सु० ब० नई दिल्ली के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई-38013(3)/9/77-कार्मिक—स्थानान्तरित होने पर श्री पी० के० लाहिरी ने श्री एन० एस० यादव, सहायक कमाडेंट के स्थान पर 7 अक्तूबर, 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट ओ० जी० पी० दुर्गापुर में सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया । मेघातुबू में स्थानान्तरित होने पर श्री एन० एस० यादव ने उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

ली० सिं० बिष्ट
महानिरीक्षक, के० औ० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनाक 21 नवम्बर 1977

स० 11/10/76-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनमे से प्रत्येक के समक्ष दर्शित कार्यालयो और अवधियों तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरे जायेंगे, जो भी समय उनमें कम हो, उप निदेशक जन गणना कार्य के पदो पर सहर्ष बढ़ाते हैं।

क्रम सं०	नाम	जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय	मुख्यालय	अवधि	पिछला सदर्भ
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अरविन्द डांगे	सिक्किम	गगटोक	16-10-1977 से 31-12-77 तक	11/10/196-प्रशा०-1 ता० 25-10-76
2.	श्री एम० थगराजू . .	तमिल नाडु और पाडेचेरी	मद्रास	4-10-77 से 31-12-77 तक	,,
3.	श्री एस० राजेन्द्रन	गोवा, दमण और दीव	पणजी	8-9-77 से 31-12-77 तक	11/10/76-प्रशा०-1 ता० 25-9-76
4.	श्री जगदीश सिंह	दिल्ली	दिल्ली	28-8-77 से 31-12-77 तक	11/10/76 प्रशा०-1 ता० 25-2-77
5.	श्री लाल कृष्ण . .	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	6-8-77 से 31-12-77 तक	11/10/76 प्रशा०-1 ता० 16-9-76
6.	श्री एस० एस० एम० जायसवाल .	हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश	लखनऊ	10-11-77 से 31-12-77 तक	11/10/76 प्रशा०-1 ता० 20-11-76
7.	श्री एस० के० अग्रवाल . .	हिमाचल प्रदेश	शिमला	15-9-77 से 31-12-77 तक	11/10/76 प्रशा०-1 ता० 25-9-76

पी० पद्मनाभ
भारत के महापजीकार और
पदेन सयुक्त सचिव

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध
नई दिल्ली, दिनाक 15 नवम्बर 1977

सं० प्र० I/2(I)/V/3134—1. महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री बी० डी० शम्बवानी को भारतीय भूचुम्बकीय संस्थान, बम्बई मे प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अपने कार्यालय मे, लेखा अधिकारी के सवर्ग मे स्थानापन्न हेतु 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान मे 6-10-77 (पूर्वाह्न) से "अगले से निचले नियम" के अन्तर्गत अगले आदेशो तक अनन्तिम आधार पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री सतपाल सिंह II को भी भारत सरकार ऊर्जा मत्रालय (शक्ति विभाग) नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए, लेखा अधिकारी संवर्ग मे स्थानापन्न हेतु 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में 6-10-77 (अपराह्न) से 6 महीने अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले पडे, अनन्तिम आधार पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० एस० मान
उप महालेखाकार (प्र०)

महालेखाकार महाराष्ट्र-1 का कार्यालय

बम्बई-400020, दिनाक 9 नवम्बर 1977

स० प्रशासन-1/भा०ले० वि०/31-खण्ड-111/19—महालेखाकार महाराष्ट्र-1 बम्बई अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित सदस्यो को उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट किये गये

दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	दिनांक
1.	श्री एस० टी० पाल	18-10-77 अपराह्न
2.	श्री व्ही० के० गावसकर	20-10-77 पूर्वाह्न

र० कृष्णन् कुट्टी
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

रक्षा मंत्रालय

आर्डनेन्स फैक्टरियां स्वास्थ्य सेवा

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरिया,

कलकत्ता, दिनांक 11 नवम्बर 1977

सं० 134/ए० एम० ओ०/ए०/एम०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों (पुरुष एवं महिला) को सहायक सर्जन ग्रेड-1 के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से, पुष्ट करते हैं:—

पुरुष अधिकारीगण

1.	डा० आर० एल० पोद्दार	4-5-1965
2.	डा० एन० सी० मालाकर	4-5-1965
3.	डा० बी० बी० चट्टर्जी	4-5-1965
4.	डा० बी० आर० बिजलानी	4-5-1965
5.	डा० बी० एम० राय चौधुरी	4-5-1965
6.	डा० डी० के० सन्याल	4-5-1965
7.	डा० ए० आर० चट्टोपाध्याय	4-5-1965
8.	डा० बी० आर० अगरवाल	4-5-1965
9.	डा० पी० सी० सैन	4-5-1965
10.	डा० जे० बी० बसु	4-5-1965
11.	डा० पी० के० सरकार	4-5-1965
12.	डा० जी० दत्ता	4-5-1965
13.	डा० एस० एस० सैनी	4-5-1965
14	डा० एम० एम० राय	4-5-1965
15	डा० आर० एम० कैला	4-5-1965
16.	डा० एस० के० भट्टाचार्या	4-5-1965
17.	डा० बी० बी० कर	4-5-1965
18.	डा० बी० के० सरकार	4-5-1965
19.	डा० आर० के० पाल	4-5-1965
20.	डा० पी० जी० सरकार	4-5-1965
21.	डा० एफ० एच० मनशर्मानी	4-5-1965
22.	डा० एम० के० विश्वास	4-5-1965
23.	डा० एस० के० मुजुमदार	4-5-1965
24.	डा० एम० जी० चक्रवर्ती	4-5-1965
25.	डा० पी० के० मुखर्जी	4-5-1965
26.	डा० के० बी० दासगुप्त	4-5-1965
27.	डा० सुधीर कुमार विश्वास	4-5-1965
28.	डा० सी० एल० मैत्रा	4-5-1965
29.	डा० एन० बी० दासगुप्ता	4-5-1965
30.	डा० के० पी० राय	4-5-1965
31.	डा० आर० के० शाह	21-1-1967
32.	डा० टी० के० मुखर्जी	21-1-1967
33	डा० सी० आर० विश्वास	21-1-1967
34.	डा० ए० सी० कुन्दु	21-1-1967
35.	डा० एस० पी० सिन्हाटल	21-1-1967
36.	डा० ए० के० दास	21-1-1967
37.	डा० ए० के० मुखर्जी	1-11-1968
38.	डा० एस० गागुली	15-5-1969
39.	डा० आर० एम० अगरवाल	8-5-1972
40.	डा० आर० एस० बाजपेई	8-5-1972
41.	डा० बी० टी० उके	8-5-1972
42.	डा० एस० पी० राय चौधुरी	8-5- 19
43.	डा० बी० पी० गुप्ता	
44.	डा० एस० पी० सक्सेना	8-5-1972
45.	डा० आर० डी० निरावाने	8-5-1972
46.	डा० डी० सिकदर	8-5-1972
47.	डा० आर० आर० मोहनदास	8-5-1972
48.	डा० एस० एस० गुप्ता	8-5-1972
49.	डा० एस० के० चौधुरी	8-5-1972
50.	डा० ए० एन० माइती	8-5-1972
51.	डा० ओ० पी० निगम	8-5-1972
52.	डा० ए० के० राय	8-5-1972
53.	डा० विश्ववीर	8-5-1972
54.	डा० आर० एस० क्याइल	8-5-1972
55.	डा० आर० जी० राय	22-8-1972
56.	डा० एस० पी० शर्मा	22-8-1972
57.	डा० दिनेश कुमार सक्सेना	01-7-1976
58.	डा० विगम्बर अनवेकर	01-7-1976
59.	डा० गोपाल कृष्ण शुक्ल	01-7-1976
60.	डा० शिव चन्द्र शुक्ल	01-7-1976
61.	डा० मीर इब्राहिम खुरैशी	01-7-1976
62.	डा० सुधीन मुखर्जी	01-7-1976
63.	डा० जयन्त कुमार राय	01-7-1976
64.	डा० रामेन्द्र सेन	01-7-1976
65.	डा० सतीश चन्द्र खत्री	01-7-1976
66.	डा० खशीलाल सतीजा	01-7-1976
67.	डा० पी० जी० इेज	01-7-1976
68.	डा० आर० एच० अम्बिके	01-7-1976
69.	डा० आर० जेड० बेडमुथा	01-7-1976
70.	डा० बी० के० अरगल	01-7-1976
71.	डा० पी० के० मुखर्जी	01-7-1976
72.	डा० ए० सी० वैद्या	01-7-1976
73.	डा० जी० आर० श्यामसुन्दर	30-4-1977

74. डा० एस० सी० श्रीवास्तवा	30-4-1977
75. डा० हरिहर पाधी	30-4-1977
76. डा० ए० एम० अन्टू	30-4-1977
77. डा० वी० पी० गुप्ता	30-4-1977
78. डा० सी० एस० मणी	30-4-1977
79. डा० राजेन्द्र पाल गुप्ता	30-4-1977

महिला अधिकारीगण

1. डा० (श्रीमती) बी० सरकार	1-4-1960
2. डा० (श्रीमती) एल० चढ़ा	4-5-1965
3. डा० (श्रीमती) ए० चेरीयन	4-5-1965
4. डा० (श्रीमती) बी० बारेटो	4-5-1965
5. डा० (श्रीमती) एम० पी० पाल	4-5-1965
6. डा० (श्रीमती) जे० बासु	4-5-1965
7. डा० (श्रीमारी) जे० आर० बरूआ	4-5-1965
8. डा० (श्रीमती) पी० चक्रवर्ती	4-5-1965
9. डा० (कुमारी) कमला सुवाहया	4-5-1965
10. डा० (श्रीमती) इन्दु देव	14-2-1968
11. डा० (श्रीमती) एस० ए० राव	3-2-1971
12. डा० (श्रीमती) गौरी बागची (कु,भट्टाचार्या)	13-6-1971
13. डा० (कुमारी) पी० भाटिया	01-1-1972
14. डा० (श्रीमती) एस० ए० वैद्या	31-8-1975
15. डा० (श्रीमती) एम०अल्फोन्स	31-8-1975
16. डा० (श्रीमती) गीता शुक्ला	31-8-1975
17. डा० (श्रीमती) इन्दुरती रूक्मिनी	31-8-1975
18. डा० (श्रीमती) शोभा खन्ना	31-8-1975
19 डा० (श्रीमती) ए० एस० जयकुमार	31-8-1975
20 डा० (श्रीमती) रमणी खीथा	31-8-1975
21 डा० (कुमारी) प्रेमवती	01-7-1976

ब्रिगेडियर
पी० एन० लिखा
निदेशक स्वास्थ्य सेवाए
कृते महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरिया

श्रम मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)
शिमला, दिनाक 1977

सं 23/3/77-सी०पी० आई०—अक्तूबर, 1977 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960–100) सितम्बर, 1977 के स्तर से एक अक घट कर 330 (तीन सौ तीस) रहा। अक्तबर, 1977 का सूचकांक 1949 आधार वर्ष पर परिवर्तित किये जाने पर 401 (चार सौ एक) आता है।

आनन्द स्वरूप भारद्वाज,
संयुक्त निदेशक

वाणिज्य मंत्रालय
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनाक 16 नवम्बर 1977
आयात एव निर्यात व्यापार नियंत्रण
(स्थापना)

स० 6/302/55-प्रशासन (राज०) /8139—राष्ट्रपति, कुमारी एम० के० ग्रेवाल उप-मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न) को मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय मे, बिल्कुल तदर्थ और अस्थायी आधार पर 1-10-1977 से आगे 3 मास के लिए या जब तक नियमित व्यवस्था नही हो जाती इनमे से जो भी पहले हो, उस तक के लिए, सयुक्त मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात के रूप मे नियुक्त करते है

दिनाक 17 नवम्बर 1977

सं० 6/417/56-प्रशासन (राज०) /8192—राष्ट्रपति, श्री बनारसी दास, स्थायी नियंत्रक, आयात-निर्यात को, कानपुर कार्यालय मे 16 जुलाई, 1977 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, उप-मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात के रूप मे नियुक्त करते है।

का० वे० शेषाद्रि
मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति विभाग
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
नई दिल्ली, दिनाक 19 नवम्बर 1977

स० प्र०-2/1(585)—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली मे उप निदेशक पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रेड ए० के ग्रेड-II) श्री वी० एस० चावला को दिनाक 5 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न मे और आगामी आदेशो के जारी होने तक इसी महानिदेशालय मे पूर्ति निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए० के ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है।

सूर्य प्रकाश
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मत्रालय
(इस्पात विभाग)
लोहा और इस्पात नियंत्रण
कलकत्ता-20, दिनाक 28 अक्तूबर 1977

स० ई०I-19(6)/63( )—निवर्तन की आयु प्राप्त कर 30 सितम्बर 1977 के दोपहर बाद मे श्री देवप्रसन्न सेन शर्मा, सहायक लोहा और इस्पात नियत्रक, सेवा मुक्त हो रहे है।

ए० सी० चट्टोपाध्याय
उप लोहा और इस्पात नियंत्रक
कृते लोहा और इस्पात नियंत्रक

खान विभाग

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 17 नवम्बर 1977

सं० ए० 19012(88)/77-स्था० ए०—श्री एम० एन० मांकोड़े स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग "ब" के पद में नियमित आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए० 19012/89/77-स्था०-ए०—श्री एस० सी० नेभानी, स्थाई वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग 'ब' के पद में नियमित आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए० 19012/101/77-स्था०-ए०—श्री के० बी० देशमुख, स्थाई वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग "ब०" के पद में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- के वेतन में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

एल० सी० रणधीर,
कार्यालय अध्यक्ष

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय

नई दिल्ली-110022, दिनांक 9 नवम्बर, 1977

सं० फा०-5-7/77 अ० (प्रौ०) शि० नि०—शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से तबादला होने पर (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) श्री देस राज क० बहल को 14-7-1977 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिये 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अनौपचारिक (प्रौढ) शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त किया जाता है।

डी० एन० सक्सेना
निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1977

सं० 10/104/77-एस०-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एस० काशी विश्वनाथन को, दिनांक 17-10-77 से आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सं० 10/68/77-एस०-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री जे० रंगैय्या को दिनांक 22-9-77 से दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 1977

सं० 4 (47)/77-एस०-1—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री पीटर बीतार सिंह शेगप्लयाग को आकाशवाणी कोहिमा में 3-10-1977 से अग्रेतर आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (82)/77-एस०-1—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री रघुबीर प्रसाद मीना को आकाशवाणी, बीकानेर में 15-9-1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1976

सं० ए. 16-17/75-प्रशा०-1—समाज कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय डा० ए० बी० हीरामनी ने 19 अक्तूबर, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप सहायक महानिदेशक (अनुसंधान) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

(औषधि अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1977

सं० ए० 44014/3/77-डी०—अपना तबादला हो जाने के फलस्वरूप श्री डी० के० कुलकर्णी ने 30 सितम्बर, 1977 अपराह्न से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, कस्टम हाउस कोचीन से तकनीकी अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और 12 अक्टूबर, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सांताक्रुज हवाई पत्तन, बम्बई में तकनीकी अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर० बाल सुब्रह्मणयन
उप औषधि नियंत्रक
कृते स्वास्थ्य महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनाक 19 नवम्बर 1977

सं० ए० 12026/5/77-औ० नि०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता के श्री ए० के० खमनोबिस, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (औषध विज्ञान) को 31 अक्तूबर, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी प्रयोगशाला में सयुक्त (एसोसिएट) औषधि विज्ञानी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

एम० एस० गोठोस्कर
औषधि नियंत्रक
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

कृषि एव सिंचाई मन्त्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

विपणन एव निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनाक 15 नवम्बर 1977

स० फाईल-4-6(128)/77 प्रशा०-III—विभागीय पदोन्नति समिति, की सस्तुतियों के आधार पर श्री सुन्दर राम, वरिष्ठ निरीक्षक को इस निदेशालय में फरीदाबाद में दिनाक 3 नवम्बर, 1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग-1), नियुक्त किया गया है।

वी० पी० चावला
निदेशक प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

मद्रास परमाणु बिजलीघर

कलपक्कम 603 102, 3 नवम्बर 1977

स० 18(82)/77-नियुक्ति—विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक, अस्थाई वैज्ञानिक सहायकों सर्वश्री वी आर० कृष्णामूर्ति और एस० एम० राव तथा अस्थाई पर्यवेक्षक (इलैक्ट्रिकल) श्री पी० ए० कृष्णन् को 1 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए इस परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस० बी०' के पदों पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

के० बालकृष्णन्
प्रशासन अधिकारी

राजस्थान परमाणु बिजलीघर

कोटा, दिनाक 19 नवम्बर, 1977

सं० रा० प० वि० प०/भर्ती/7(8)/77/1542—राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर विद्युत् परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक और राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी श्री नवल किशोर नागर को इसी परियोजना में ही दिनाक 19 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिये अस्थाई रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं। श्री नागर ने दिनाक 17-8-77 से 18-10-77 तक तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य किया है।

स० रा०प०वि०प०/भर्ती/(8)77/1543—राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर विद्युत् परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के एक स्थायी सलेक्शन ग्रेड क्लर्क श्री एस० डी० मेहता को इसी परियोजना में दिनाक 24 अक्टूबर, 1977 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए अस्थाई रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं। श्री मेहता ने दिनाक 14-1-74 से 22-4-76 तक तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया है।

गोपाल सिंह
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
कृते मुख्य परियोजना इंजीनियर

तारापुर परमाणु बिजलीघर

डा० घ० टापा, दिनाक 27 अक्टूबर 1977

सं० टी० ए० पी० एस०/2/767/70—तारापुर परमाणु बिजलीघर के एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक एव स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री वी० डी० चौधरी को, परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनाक 11 अक्तूबर, 1977 के कार्यालय आदेश सख्या 20/5(1)/76 सी० सी० एस० के अन्तर्गत उनका तबादला क्रय एव भडार निदेशालय के हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय क्रय एकक में हो जाने पर, 25 अक्टूबर, 1977 के अपराह्न से तारापुर परमाणु बिजलीघर से उनके कार्य-भार से मुक्त किया जाता है।

दिनांक 31 अक्तूबर 1977

सं० टी० ए० पी० एस०/1/34(1)/77-आर०—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु बिजलीघर के अस्थाई वैज्ञानिक सहायक (सी०) श्री एस० आर० राधाकृष्णन् को 1 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से उसी बिजलीघर में अस्थाई रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर एस० बी० नियुक्त करते हैं।

डी० वी० माकलि
मुख्य प्रशासन अधिकारी

रिएक्टर अनुसधान केन्द्र

कलपक्कम, दिनाक 30 अक्तूबर, 1977

सं० ए० 32023/1/77/आर०-17221—रिएक्टर अनुसधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, भाभा परमाणु अनुसधान केन्द्र के स्थायी आशुलिपिक तथा इस केन्द्र के स्थानापन्न प्रवरण कोटि आशुलिपिक श्री एम० कृष्णामूर्ति को 29-8-77 से 18-10-77 तक की अवधि के लिये तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं। श्री कृष्णामूर्ति ने 19 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न में सहायक प्रशासन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ए० 32023/1/77/आर०-17221—रिएक्टर अनुसधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, इस केन्द्र के स्थानापन्न सहायक लेखापाल श्री के० एम० वेलायुधन को, 12 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिये तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते है।

आर० एच० शानमुखम
प्रशासन अधिकारी
कृते परियोजना निदेशक

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग
नई दिल्ली-3, दिनाक 18 नवम्बर 1977

सं० ई० (I) 00949—वेधशालाओ के महानिदेशक श्री प्रदुमन कुमार जैन को भारत मौसम सेवा ग्रुप बी (केन्द्रीय सिविल सेवा, ग्रुप बी) मे 14 अक्तूबर, 1977 से आगामी आदेश तक, सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप मे नियुक्त करते हैं।

श्री जैन को वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली मे तैनात किया जाता है।

गुरुमुख राम गुप्ता
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओ के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनाक 22 अक्तूबर 1977

स० ए० 32013/6/76-ई० एस०—इस कार्यालय की 4 जुलाई, 1977 की अधिसूचना सं० 32013/6/76-ई० एस० (1) के क्रम मे राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की विमान निरीक्षक के ग्रेड मे हुई तदर्थ पदोन्नति की अवधि 28-2-1977 के बाद प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख तक या पदो के नियमित रूप से भरे जाने के समय से, जो भी पहले हो बढ़ा दी है।

क्रम स०	अधिकारी का नाम	तिथि
1.	श्री अनुपम बागची	22-12-77
2.	श्री एस० मजुमदार	27-12-77
3.	श्री एच० एम० फुल	31-12-77
4.	श्री एल० ए० महालिंगम	29-12-77
5.	श्री ए० के० रे	31-12-77
6.	श्री एम० पी० सिंह	27-12-77
7	श्री डी० पी० घोष	22-12-77

सं० ए० 32013/6/76-ई० एस० (II)—इस कार्यालय की 4 जुलाई, 1977 की अधिसूचना सं० ए० 32013/6/76-ई० एस० (ii) के क्रम मे राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियो की वरिष्ठ विमान निरीक्षक के ग्रेड मे हुई तदर्थ पदोन्नति की अवधि 28-2-1977 के बाद 31-12-1977 तक या ग्रेड मे नियमित नियुक्तिया होने तक, इनमे से जो भी पहले हो बढ़ा दी है।

क्र० सं०	नाम
1.	श्री एस० एल० श्रीवास्तव
2	श्री फिलिप मैथ्यू

एस० एल० खंडुर
सहायक निदेशक प्रशा०

नई दिल्ली, दिनाक 15 नवम्बर 1977

सं० ए० 12034/4/77-ई० ए०—श्री के० श्रीनिवासन, सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी, मद्रास क्षेत्र, मद्रास ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 31 अक्टूबर, 1977 अपराह्न से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

वि० वि० जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनाक 17 नवम्बर 1977

स० ए० 32013/8/77-ई० सी०—राष्ट्रपति ने श्री किशु टेकचन्दानी, सहायक निदेशक संचार (योजना) मुख्यालय, नागर विमानन विभाग को 12 अक्टूबर, 1977 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर नियंत्रक संचार के पद पर नियुक्त किया है और उन्हे वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजग एयरपोर्ट, नई दिल्ली में तैनात किया है।

दिनाक 14 नवम्बर 1977

स० ए० 32014/1/77-ई० सी०—इस विभाग की 13 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सख्या ए० 32014/1/77-ई० सी० की क्रम स० 1 के अनुक्रम में, महानिदेशक नागर विमानन ने श्री पी० आई० डेविड, सहायक संचार अधिकारी की छुट्टी रिक्त मे श्री वाई० बी० भोपटकर की सहायक संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, बबई के पद पर की गई तदर्थ पदोन्नति की अवधि 6-4-77 से 7-8-77 तक जारी रखने की संस्वीकृति प्रदान की है।

सत्य देव शर्मा
उप निदेशक प्रशासन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
कम्पनी अधिनियम, 1956 और रामि टायर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे।

मद्रास-6, दिनाक 16 नवम्बर 1977

स० 5521/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रामि टायर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गयी है।

सी० अच्युतन
कम्पनी का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और मेसर्स युनिवरसल इक्विपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे।

बम्बई, दिनाक 19 नवम्बर, 1977

सं० 12611/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स

युनिवरसल इक्वीपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर मे काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 एव विजय भारती पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे ।

बम्बई, दिनाक 19 नवम्बर 1977

स० 17251/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर विजय भारतीय पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्री राम
कम्पनियो का सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और आर० एस० गुप्ता स्टील रोलिंग एण्ड जनरल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे।

चण्डीगढ़, दिनाक 19 नवम्बर 1977

स० जी०/स्टेट/560/3354/9099—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आर० एस० गुप्ता स्टील रोलिंग एण्ड जनरल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कंपनी विघटित कर दी जाएगी।

सत्य प्रकाश तायल,
कम्पनियो का रजिस्ट्रार
प० हि० प्र० व चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और गीता टीयूबस प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे।

कटक, दिनांक 19 नवम्बर 1977

स० 501/77-4019 (2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर गीता टीयूबस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कंपनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और कोनारक ट्रेडिंग कारपोरेसन प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे ।

कटक, दिनांक 19 नवम्बर, 1977

स० 186/77-401/8(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कोनारक ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कपनी विघटित कर दी जाएगी।

डी० के० पाल
कम्पनियो का रजिस्ट्रार
उडीसा

आयकर अपील अधिकरण

बम्बई-400020, दिनाक 2 नवम्बर 1977

स०एफ०-48ए०डी० (ए०टी०)/77-भा०II—श्री निरंजनदास स्थानापन्न सहायक अधीक्षक, आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली को तदर्थ आधार पर अस्थाई क्षमता में सहायक पजीकार के पद पर आयकर अपील अधिकरण,अमृतसर न्यायपीठ, अमृतसर मे रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान पर दिनाक 17 अक्टूबर, 1977(पूर्वाह्न) से तीन महीने की अवधि के लिए या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति सघ लोक सेवा आयोग द्वारा नही हो जाती जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री निरंजन दास को उसी श्रेणी मे नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नही प्रदान करेगा और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी मे परिगणित की जाएगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने के पात्रता ही प्रदान करेगी।

दिनांक 8 नवम्बर 1977

स० एफ० 48-ए० डी०(ए० टी०)/77-भाग—II—श्री आर० डी० यादवेन्दु, स्थानापन्न सहायक पंजीकार, आयकर अपील अधिकरण, इन्दौर न्यायपीठ, इन्दौर का त्यागपत्र एतद्द्वारा दिनाक 19 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से स्वीकार किया जाता है।

वित्त मन्त्रालय

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रेंज, धारवाड,
दिनांक 30 नवम्बर 1977

शुद्धि

निदेश सं० 172/76-77/अर्जन दिनांक 31-3-1977 आयकर अधिनियम की धारा 269 डि(1) के नियम वित्त मन्त्रालय की संख्या 1828 अंग्रेजी पार्ट तीन सेक्शन के उसका बदले अन्तरक का नाम यह इस प्रकार पढ़े

(1) श्री विश्वेकटारामय्या आलियास अेम्पुहम्मा के बदले मे श्री बि० वेंकटारामय्य आलियास अप्पय्या और

(2) श्री बि० नागराज राव के बदले श्री बि० वि० नागराज राव

निदेश सख्या 193/77-78/ अर्जन दिनाक 18-10-1977 आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 डि (1) के अधीन सूचना जिसकी निदेश का म 193/77-78/ अर्जन है । और जो कि अन्तरक का नाम इस प्रकार पढ़े । जोकि तारीख 5-11-77 के निदेश स० 5058 और 4979 हिन्दी और अंग्रेजी का नाम इस प्रकार पढ़े

1 श्रीमति के सौदामल
2 श्री के थामोधरन
3 श्री के लक्ष्मी नारायणनन रविवासी राजा स्ट्रीट, कोमारापलयम, सेलम –जिला (तमिलनाडु)

(डि०मि० राजागोपालन)
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रज धारवाड

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 9 नवम्बर 1977

निदेश नं० लुधियाना / सी० / 91/ 76-77—अतः, मुझे नत्थू राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० पोरशन प्रापर्टी नं० बी०-23/ 67/1 है तथा जो इण्डस्ट्रीयल एरिया ए०, लुधियाना मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) मैसर्ज कामनवैलथ सपिनिग एण्ड निटिंग मिल्ज प्राइवेट लिमिटेड, 236, इन्डस्ट्रियल एरिया ए०, लुधियाना (अन्तरक)

(2) मैसर्ज निटिंग मैशनरीज सिन्डीकेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मार्फत श्री दिनेश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पोरशन प्रापर्टी नम्बर, बी०-23/ 67-1, इण्डस्ट्रीयल एरिया ए० लुधियाना जो कि रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के विलेख नं० 2714 मार्च, 1977 में दर्ज है ।

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 9 नवम्बर 1977
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लुधियाना

लुधियाना, दिनाक 9 नवम्बर 1977

निदेश सं० लुधियाना/ सी०/86/77-77 :—अतः, मुझे नत्थु राम

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट क्षेत्रफल 972/¼ वर्ग गज है तथा जो इण्डस्ट्रीयल एरिया 'ख' लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्ज कौमन वैलथ सपिनिंग व निटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 236 इण्डस्ट्रीयल एरिया ए० लुधियाना ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्ज न्यू ऐरा वूलन मिल्ज प्राइवेट लिमिटेड इण्डस्ट्रीयल एरिया ए० लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 972/¼ वर्गगज जो कि इण्डस्ट्रीयल एरिया ए० में स्थित है ।

जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता के विलेख नं० 2658 मार्च, 1977 में वर्ज है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय मे लिखा है) ।

नत्थु राम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख . 9 नवम्बर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 9 नवम्बर 1977

निदेश न० लुधियाना/ सी०/ 84/ 76-77—अत, मुझे नत्थू राम
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० प्लाट क्षेत्रफल 972/½ वर्गगज है तथा जो इण्डस्ट्रीयल एरिया ए, लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् .—

(1) मैसर्ज कौमन वैलथ सपिनिंग, वीविंग मिल्ज प्राइवेट लिमिटेड 236 इण्डस्ट्रीयल एरिया ए० लुधियाना ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्ज न्यू ऐरा वूलन मिल्ज प्राइवेट लिमिटेड 300 ईण्डस्ट्रीयल एरिया ए० लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 972/½ वर्गगज जो इण्डस्ट्रीयल एरिया ए लुधियाना में स्थित है ।

जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता के विलेख न० 2634 मार्च, 1977 में स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है) ।

नत्थू राम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 9 नवम्बर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 9 नवम्बर 1977

निदेश स० पटियाला/ 3/ 77-78 —अत:, मुझे नत्थू राम आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट न० 5/बी० जोकि माडल टाउन पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1 लैफ्टीनेंट कमांडर सुन्दर सिंह बाबा पुत्र बाबा गुरदियाल सिंह आई-एन० एस० नेवी इंजीनियर निवासी सहीद भगत सिंह रोड बबई.

(अन्तरक)

2 श्रीमती परीतम कौर पनधेर पत्नी श्री तेल वन्त सिंह पनधेर (लैफ्टीनैंट) निवासी 5-बी०, माडल टाऊन, पटियाला

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट क्षेत्रफल 1333 वर्ग गज जो /बी० जो कि माडल टाऊन पटियाला में स्थित है (जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता के विलेख न० 5866 मार्च 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में लिखा है)।

नत्थू राम
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 9-11-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-I, मद्राम

मद्राम, दिनाक 14 नवम्बर 1977

निदेश म० 7/मद्राम/77 --यत , मुझे, ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी म० 7 है, जो मन्डी स्ट्रीट वेलूर मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेलूर (पत्र स० 624/77) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मार्च, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात :

(1) श्री ए० के० देसबन्धु मुदलियार और आदि (अन्तरक)

(2) श्री एम० सुन्दरेसन (अन्तरिती)

(3) इण्डियन बैंक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :---इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

वेलूर , मण्डी स्ट्रीट , डोर सं० स० 7 (एस० स० 355 और 463) मे 1112 4 स्कुयर फीट की भमि (मकान के साथ) ।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-I, मद्रास

तारीख : 14-11-77

मोहर ..

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 नवम्बर 1977

निदेश सं० 8/मद्रास/77—यत, मुझे ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी स० 7 है, जो मन्डी स्ट्रीट, नेलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16 मार्च, 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री ए० के० देसबन्धु मुदलियार और आदि
(अन्तरक)

(2) श्री एम० ई० माणिक्क मुदलियार
(अन्तरिती)

(3) इण्डियन बैंक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नेलूर, मन्डी स्ट्रीट, डोर स० 7 (एस० सं० 355 और 463) में 1112 4 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

ए० टी० गोविन्दन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 14-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 नवम्बर 1977

निदेश स० 9/मार्च/77 —यत:, मुझे, ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी स० 7 है, जो मन्डी स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नेलूर (पत्र सं० 622/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 मार्च, 77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री ए० के० हेमबन्धु मुदलियार और आदि (अन्तरक)

(2) श्री एम० शण्मुगम (अन्तरिती)

(3) इण्डियन बैंक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नेलूर, मण्डी स्ट्रीट, डोर सं० 7 (एम० स० 355 और 463) में 1112.4 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 14-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 नवम्बर, 1977

निदेश सं० 19/मार्च/77 :—यत, मुझे ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 89/2 और 92 है, जो ओलक्कचिन्नूर गाव सेलम जिला मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सकरीदुर्ग पत्र सं० 183/77) म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री मारप्प गऊन्डर और आदि

(अन्तरक)

(2) श्री मन्राय नाडार और आदि

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करना ह।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिल्ला, ओलक्क चिन्नूर गाव एस सं० 89/2 (3.38 1/2 एकड़) और 92 एकड़) और 92 (एक एकड़) मे 4 38/12 खेती की भूमि और आदि।

ए० टी० गोविन्दन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 15-11-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I: मद्रास

मद्रास, दिनांक 15 नवम्बर 77

निदेश स० 23/ मार्च/ 77—अत, मुझे ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० 7 है, जो विनायगर कोईल स्ट्रीट कीरनूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पलनि (पत्र स० 157/77) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, मार्च, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एम० ए० मेहरुन्नीसा (अन्तरक)

(2) श्री एम० एस० अब्दुल सलाम (अन्तरिती)

(3) कनारा बैंक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पलनि तालुक, कीरनूर गाँव डोर स 7 (एम० स० 130/ 1 सी०/ 1 सी०) मे 15240 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

ए० टी० गोविन्दन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-I, मद्रास

तारीख 15-11-77

मोहर .

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर 1977

निदेश सं० 22/एम० ए० आर०/77-78—यत:, मुझे, ए० टी० गोविन्दन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 217 ए०, 216, बी०, 216 डी०, 216 ई०, है, जो वन्डीक्काट स्ट्रीट मैन रोड़ रामनानपुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रामनातपुरम (पत्र सं० 89/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16 मार्च, 1977

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व के कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० चन्द्रसकर नाडार

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ए० सफुरन जमीला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रामनातपुरम, ए० सफुरन जमीला

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 17-11-77
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर, 1977

निदेश सं० 31/एम० ए० आर०/ 77 :—यतः, मुझे ए० टी० गोविन्दन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० वेप्पडी, गांव, एर्काड है, जो

मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एर्काड (पत्र सं० 39/77) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 23-3-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात्:—

(1) श्री एम० शिवदास मेनन

(अन्तरक)

(2) श्रीमती पी० शान्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिल्ला एर्काड, नेप्पटी गाव एस० स० 5/2(2 एकड), 6/1, (0 03 एकड, 6/2(2.36एकड), 7 (2 25 एकड) 8/2 (1.98 एकड), 10/3 (1.95 एकड), 11/2 (0.04 एकड़), 12 (5 42 एकड), 13/2 (0.15 एकड) में 16 18 एकड खेती की भूमि ।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 मद्राप

तारीख : 17-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर 1977

निदेश सं० 33/एम० ए० आर०/77 —यत:, मुझे, ए० टी० गोविन्दन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी स० है, जो

में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कीलराज, कुलरामन (पत्र सं० 144/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कन्दसामि

(अन्तरक)

(2) श्री आरुमुगपेरुमाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Properties covered by Doc No 144/77 registered with the Sub-Registrar Kilaraja Kularaman during March 1977.

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 मद्रास

तारीख 17-11-1977

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-I, बम्बई

बम्बई, दिनाक 15 नवम्बर 1977

निर्देश सं० 35/एम० ए० आर०/77—यत., मुझे, ए० टी० गोविन्दम,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० है तथा जो नरसिंगपुरम गांव आल्तूर ताल्लुक मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-3-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री चेल्ला मूप्पार और आदी

(अन्तरक)

(2) श्री मुलुसामि गऊन्डर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिय कार्यवाहिया शुरू करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिल्ला आलूट तालुक नरसिंगपुरम गाव एस० स० 399/4 डी० (0 85 एकड), 399/4जी० (0 69 एकड़), 399/1ई० (0.22 एकड़), 399/5 (0 74 एकड़), 403/1डी० (4 67 एकड़) और 494/4डी० (0.29 एकड) मे 7 46 एकड़ खेती की भूमि और आदी।

ए० टी० गोविन्दम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख 17-11-77
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर 1977

निदेश स० 38/एम० ए० आर०/77—यत मुझे, ए० टी० गोविन्दन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी स० है जो, कस्तूरिपटटी और सकरी गाव, सेलम मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सकटी (पत्र स० 189/77) मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती रजीनारत्नम और आदि

(अन्तरक)

(2) श्री पी० पलनिसामि गऊन्डर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिल्ला कस्तूरिपट्टी और सकटी गाव मे खेती की भूमि और आदि।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 मद्रास

तारीख : 17-11-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर, 1977

निदेश सं० 39/एम० ए० आर०/77:—अतः, मुझे ए० टी० गोविन्दन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० स० 141/1, है, जो कसतूरि पट्टी, सेलम जिल्ला में स्थित है (और इससे पउपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रंकरिपुर्ग (पत्र सं० 191/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) नाच्चीयप्पा और को.

(अन्तरक)

(2) श्री एस० बालकृष्णन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिल्ला, कस्तूरपट्टी गांव एस० स० 141/1 मे 6 30 एकड की भूमि (मकान के साथ)।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेज-1 मद्रास

तारीख : 17-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 मद्रास

मद्रास, दिनांक 17 नवम्बर 1977

निदेश सं० 42/एम० ए० आर०/77——यत, मुझे ए० टी० गोविन्दन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 309/1 बी० और 309/1ए०, है जो मेलविशारम गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आर्काड (पत्र सं० 479/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० एम० सुब्रमन्यम और अल्लीयम्माल (अन्तरक)

(2) श्री टी० एम० अब्दुल गफूर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नार्थ आर्काड जिल्ला, मेलवीशारम गांव एम० स० 309/1 बी० (0.77½ एकड) और 309/1ए० (5½ एकड) में 5.77 खेती की भूमि और आदि।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 मद्रास

तारीख : 17-11-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मद्रास, दिनांक 19-11-77

निदेश सं० 4270/77/78—यत: मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० डोर स० 83, नन्नामलै चेट्टिट्टयार है तथा जो रोड, कोयम्बतूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधिपुरम डाकुमेण्ट 289/77) मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-4-1977 सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डाक्टर ए० मोहन राव

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कमला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, एम० आर० पी० नगर, नन्नामलै चेट्टियार रोड, डोर स० 83 मे 5000 स्कुयर फीट (मकान के साथ)

(के० पोन्नन)
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज मद्रास

तारीख 19-11-77
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनाक 19 नवम्बर 77

निदेश स० 5503/76-77—यत: मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० मद्रास, मौण्ट रोड, डोर सं० 1/105 में ग्राउण्ड फ्लोर और भूमि में 1/3 भाग में स्थिति है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० III मद्रास नार्थ (डाकुमेण्ट 732) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-3-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दी० मद्रास इन्वेस्टमेन्टस एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० जमीला

(अन्तरिती)

(3) विन्नि लिमिटेड

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में किया गया है।

अनुसूची

मद्रास 18, मौण्ट रोड, डोर सं० 1/105 में ग्राउण्ड फ्लोर और भूमि में 1/3 भाग।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख :19-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 19 नवम्बर 1977

निदेश सं० 5503/ 76 -77 —यत , मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मद्रास, मौण्ट रोड, डोर सं० 1/105 में पहला और दूसरा फ्लोर और भूमि मे 2/3 भाग मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० III मद्रास नार्थ, (डाकुमेण्ट 733/77) मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दी० मद्रास इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड कस्ट्रक्शन कारपोरेशन (अन्तरक)

(2) श्री एन० आर० नूर मोहमद (अन्तरिती)

(3) स्टेट बैंक आंफ इण्डिया (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क मे यथापरिभाषित है; वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास 18, मौण्ट रोड, डोर सं० 1/105 मे पहला और दूसरा फ्लोर और भूमि मे 2/3 भाग।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख 19-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 19 नवम्बर 77

निदेश सं० 5568/77-78 ---यत, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 15, महालिकम चेट्टि स्ट्रीट मद्रास-34 मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर (डाकुमेण्ट 237/77) मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-4-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री आर० राजन (अन्तरक)

(2) श्री डाक्टर मी० वी० कृष्णन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास 34, महालिकम चेट्टि स्ट्रीट, डोर सं० 15 मे 1 ग्राउण्ड और 220 स्कुयर फीट (मकान के साथ)।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख 19-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -IV कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 23 नवम्बर, 1977

निर्देश सं० ए० सि० 26/ अर्जन रे०-IV/कल०/77-78—अत: मुझे, पि० पि० सिं०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मौजा विश्वनाथपुर,मे थाना देगंगा, 24 परगना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आलिपुर, 24 परगना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-3-77 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री कुमुदबन्धु चटर्जी

(अन्तरक)

(2) श्री जयेन्द्र कुमार मुखलाल शाह दारट्री

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

मौजा विश्वनाथपुर, थाना देगगा जिला 24 परगना मे स्थित 32 एकड़ जमीन तथा उस पर निर्मित 11,200 स्कुयर फीट के दो मजिला मकान जो कि दिलील सं० 1491 दि० 11-3-77 के अनुसार पूर्ण रूप से वर्णित है।

पि० पि० सिंह
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-IV कलकत्ता

तारीख : 23-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनाक 19 नवम्बर 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यु० 1/ एस० आर०-111/31/ मई-1 (5) / 77-78/ 4089 :--अत., मुझे जे० एस० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० ए०-182 है, तथा जो ग्रेटर कैलाश-11 नई दिल्ली में स्थित है और (इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख मई, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री एस० के० तपारिया (गोद लिया हुआ), सुपुत्र स्वर्गीय श्री बिशम्बर सहाय, निवासी सी०-2/23, सफदरजग एनक्लेव, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री दीवान कुलदीप सिह सुपुत्र श्री दीवान चन्द द्वारा श्री रामेश सुखीजा, निवासी एन०-82, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका न० 182, ब्लाक नं० 'एम०' और क्षेत्रफल 30 वर्ग गज है, निवासी कालोनी ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली के बहापुर गाव, दिल्ली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत, दिल्ली राज्य में निम्न प्रकार से स्थित है :-

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : प्लाट न० एम०-18
दक्षिण : प्लाट न० एम० - 184

जे० एस० गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 19-11-1977
मोहर :

प्रेरूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनाक 19 नवम्बर 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु० / 1/ एस० आर०-111/ 48/ मई-2 (18) / 77-78/ 4089 :—अत., मुझे, जे० एस० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या सी०-2/151 है, तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1977 ।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5—366GI/77

(1) श्रीमती रामेली बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री ठाकुर दास, निवासी दुकान न० 10, निजामुद्दीन वैस्ट, नई दिल्ली । (अन्तरक)

(2) श्री ईश कुमार चावला, सुपुत्र श्री छतना राय चावला, निवासी, सी०-2/151, लाजपत नगर, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

लीज होल्ड मकान न० सी०-2/151, क्षेत्रफल 100 वर्गगज है, लाजपत नगर, नई दिल्ली म निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : लेन
उत्तर : मकान न० 150
दक्षिण : मकान न० 146

जे० एस० गिल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख . 19-11-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

4/14क; आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1977

निर्देश स० आई० ए० सी० / एक्यु० 1/ एस० आर० - III/ 28/ अप्रैल-11/ (26)/ 77-78/ 4089 .—अतः, मुझे, जे० एस० गिल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० के०-35 है तथा जो जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमर नाथ, सुपुत्र श्री प्रभुदयाल, तथा श्री दया नन्द, सुपुत्र श्री घेला राम, निवासी के०-35, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री मौइनूद्दीन, सुपुत्र श्री अजीमुद्दीन, तथा श्रीमती जकारिया बेगम, पत्नी श्री अब्दूल अजीज, निवासी 2418, तुर्कमान गेट, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट की भूमि जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है और न० 35, ब्लाक न० 'के' है, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में है ।

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 19-11-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा
भटिंडा, दिनाक 8 नवम्बर 77

निदेश नं० ए० पी० 54/बी० टी० / 77-78 :—यत., मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात् :—

(1) श्री चन्द्र मोहन पुत्र श्रीमती लाज रानी पुत्री श्री गोपाल दास श्रीमती किरण रानी पुत्री श्रीमती राज रानी वासी अबोहर ।

(अन्तरक)

(2) श्री गोपी लाल पुत्र श्री पहू लाल पुत्र श्री प्यारे लाल वासी अबोहर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मकान जो कि 130 वर्गगज 6 वर्ग फट मे बना है जैसा कि रजिस्ट्री नं० 2326 तारीख मार्च, 1977 मे लिखा है ।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 8/11/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 8 नवम्बर 1977

निदेश सं० ए० पी० 55/ बी० टी०/ 77-78 .—यत., मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो मोगा महिला सिंह मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोगा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वैद्य जसवंत सिह पुत्र कृपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह वासी मोगा महिला सिंह

(अन्तरक)

(2) श्री डा० बलबीर सिंह कौर धालीवाल पत्नी डा० मनमोहन सिह धालीवाल पुत्र जसवन्त सिंह वासी मोगा महिला सिह

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

1 कनाल 12 मरले जमीन जैसा कि रजिस्ट्री न० 7373 मार्च, 1977 सब रजिस्ट्रार मोगा मे लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 8/11/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 8 नवम्बर 1977

निदेश नं० ए० पी० 56 / बी० टी० / 77-78 —यत, मुझे पी० ए० न० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो अबोहर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गुरदित्ता राम पुत्र श्री भगवान दास पुत्र श्री धन्ना राम वासी जैन नगरी अबोहर तहसील फाजिलका (अन्तरक)

(2) श्री दीवान चन्द पुत्र श्री गोविन्द लाल पुत्र श्री विधा राम वासी गली न० 13 मंडी अबोहर तहसील फाजिलका । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

एक मकान 500 वर्ग गज मे बना हुआ है जैसा कि रजिस्ट्री नं० 2441 तारीख 31-7-77 मे लिखा है ।

पी० एन० मलिक
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 8/11/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 4 नवम्बर 1977

निदेश न० ए० पी० 57/बी०टी० आई० / 77-78.—यत, मुझे, पी० एन० मलिक।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो मानसा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मानसा में रजिस्ट्रीकरण अधिनिय, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आत्मा राम पुत्र दौलत राम गली राम प्यारी वाली वार्ड न० 1 मानसा

(अन्तरक)

(2) श्री मोहन लाल पुत्र राम स्वरूप द्वारा गली साउल सर्विस कोर्ट रोड मानसा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू।

उक्त सपत्ति के अर्जन के संबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति का आधा भाग जो कि मानसा मे कोर्ट रोड पर है जैसा कि रजिस्ट्री न० 28 तारीख अप्रैल, 1977 तहसील मानसा म हैं।

पी० एन० मलिक
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 4/11/77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिन्डा

भटिन्डा, दिनांक 4-11-77

निदेश सं० न० ए० पी०-58/बी० एन०/77-78—यत. मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० जैसा क अनुसूची में लिखा जाता है तथा जो मानसा में स्थित है (और इससे पाबन्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मानसा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक अप्रैल, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री आत्मा रामपुर श्री दौलत राम बासी गर्ग राम प्यारी जवाली वार्ड न० 1 मानसा

(अन्तरक)

(2) श्री हरीराम पुत्र श्री राम प्यारी द्वारा गर्ग साऊड मविस मानसा

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि न० 2 मे है वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग जमे सम्पत्ति है ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क मे यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति का आधा भाग जो कि मानसा मे कोर्ट रोड पर है जैसा कि रजिस्ट्री न० 27 तारीख अप्रल, 1977 तहसील मानसा मे लिखा है ।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख . 4/11/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 16 नवम्बर 1977

निर्देश स० आ० नि० सी० / अर्जन / 50/67-78 —यत: मुझे, ह० च० श्रीवास्तवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० प्लाट न० 22, मकान न० 814 है तथा जो रेशीमबाग ले-आऊट, नागपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,, तारीख 16-6-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मारोतराव देवाजी खडतकर, सरईपेठ, नागपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती नर्मदा बाई धोंडबाजी टिकले, सरईपेठ, नागपुर।

(3) श्रीमती विमला बाई यादवराव कुकडे, कान्होलीबारा, नागपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट न० 22 मकान न० 814, रेशमी बाग ले-आउट, नागपुर।

ह० च० श्रीवास्तवा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, नागपुर

तारीख : 16-11-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनाक 18 नवम्बर 1977

निदेश न० 3798/ अर्जन/ मेरठ/ 77-78/ 5003 — अत: मुझे आर० पी० भार्गव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 1116 है तथा जो 21-4-77 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मवाना न० मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्रीमती जरीना बेगम पत्नी अतीबुल्ला खान नि० सठला, प० हस्तिनापुर त० मवाना, मेरठ

(अन्तरक)

(2) श्री मुन्शी लाल पुत्र राममरन दास व श्रीमती रामी देवी पत्नी मुन्शी लाल नि० भगवानपुर प० किथौर त० मवाना जिला मेरठ

(अन्तरिती)

को, यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि 5/11) 1.1 बीघा स्थित भगवानपुर तहसील मवाना जिला मेरठ 34,000) के विक्रय मूल्य मे बेची गयी ।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज, कानपुर

तारीख : 18-11-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 18 नवम्बर 1977

निदेश नं० 3848/ अर्जन/ मेरठ/ 77-78/ 991 —अतः मुझे, आर० पी० भार्गव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1183 है तथा जो मार्च, 1977 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र नैन सिंह नि० ग्राम हमनपुर, परगना, किथौर वर्तमान पता ग्राम गगसोना परगना हस्तिनापुर त० मवाना पोस्ट फलवादा, जिला मेरठ

(अन्तरक)

(2) श्री हंसराज, जैपाल, राजवाल, शशिपाल और राजसिंह पुत्रगण शिवचरण बदले, सुखबीर सिंह, भूले सिंह पुत्रगण जीत सिंह बदले नि० ग्राम गगसोना, परगना व तहसील मवाना, पोस्ट फलवादा, मेरठ

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि खसरा नं० 466ए 7 बीघा 18 बिस्वा 13 बिस्वांशी और खसरा नं० 466 बी 11 बिस्वांशी स्थित ग्राम गगसोना प० हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ, 45056/25 के विक्रय मूल्य में बेची गयी।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 18-11-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनाक 9 नवम्बर, 1977

स० न० 493 —अयत., मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 5-82-25 है, जो गुन्टूर मे स्थित है (और इससे पावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्टूर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-4-77 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :—

(1) श्री जे० सत्यनारायण (2) जे० प्रकाश (3) जे० लक्ष्मी श्रीनिवासन, (4) जे० विजयकुमार (5) ज० नटराजन, (6) जे० लक्ष्मी सुब्रहमन्य शर्मा, (7) जे० सिवरामकृष्ण प्रसाद मगलागिरि ।

(अन्तरक)

(2) श्री जि० पुनिचन्द्रारात्र गुन्टूर ।

(अन्तरिती)

अनुसूची

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुन्टूर रिजिस्ट्री अधिकारी से पक्ति अत 30.4.77 मे पंजीकृत दस्तावेज न० 1822/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेज काकिनाडा

तारीख . 9-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज काकिनाडा
काकिनाडा दिनाक 9 नवम्बर, 1977

सं० न० 494 :—अयत', मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 4/283 है, जो कोव्वली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ऐलूरू मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है·—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था किया या जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ·—

(1) श्री के० वरलक्ष्मीम्मा , देन्वुलूरु
(अन्तरक)

(2) श्री अल्ला सत्यनारायण वटलूरू
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ऐलरु रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-3-77 मे पंजीकृत दस्तावेज न०623/77 मे निगमित अनुसूची सपति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज , काकिनाडा

तारीख : 9-11-77
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनाक 9 नवम्बर 1977

स० न० 495.—अयत, मुझे एन० के० काकिनाडा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० 4/283 है, जो कोव्वली मे स्थित है (और इससे पाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ऐलूरू मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, तारीख 14-3-77

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री के० वरलक्ष्मी देन्दुलूरू ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० श्रीवेनुगोपालावेकटा सुब्बाराव वटलूरू

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(अन्तरक)

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

(अन्तरिती)

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

ऐलूरू रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-3-77 मे पजीकृत दस्तावेज न० 622/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ति .

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज काकिनाडा

तारीख : 9-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनाक 9 नवम्बर 77

स० नं० 496.—यत', मुझे एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० 13/289 है, जो गुडिवाडा मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-3-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पि० वीरवेंकट सुब्बाम्मा विजयवाडा (अन्तरक)

(2) श्री एम० ब्रह्मारेड्डी, हैदराबाद (अन्तरिती)

(3) 1 श्री पि० परब्रह्मानन्दराव
2 चेश्री आर० एस० प्रकाशराव
3 श्री एन० नरसिंहाचारी ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग से सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुडिवाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-3-77 मे पर्जाकृत दस्तावेज नं० 337/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ति ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० न० 497—अतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5-10-14 है, जो गुन्टूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूपमें वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्टूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-3-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती के० जानकि, मचिकीजटनम।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० सत्यवति गुन्टूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 1172/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० नं० 498—यत, मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 26-15-154 है, जो वैजाग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विशाखपटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बि० नरसिंह सर्मा विशाखपटनम।

(अन्तरक)

(2) (1) के० संकानी (2) नारायणदास संकानी।

(अन्तरिती)

(3) (1) रमेशाखिलक होम।
(2) सोनिया (3) सेवासदन चिट फन्ड्स
(4) योग टैक्सी, विशाखपटनम।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विशाखपटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 601/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० नं० : 499—यत: मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 26-15-154 है, जो वैजाग मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विशाखपटनम मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (1908 का 16) के अधीन 25-4-77 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को' जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बिनरसिंह समी विसाखपटनम।

(अन्तरक)

(2) श्री के० मकानी (2) नारायणदास मकानी। वैजाग। (अन्तरिती)

(3) (1) श्री रमेश मिल्क हाउस, (2) सोनिया (3) सेकासदन चिट फन्ड्स (4) वेग टेलरस, विसाखापट्टनम।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

विसाखपटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 304.77 मे पंजीकृत दस्तावेज न० : 1038/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख . 9-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

सं० नं० : 500—यत. मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी म० 11-33-7 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् —

(1) श्रीमती के० नसरम्मा, विजयवाडा
(अन्तरक)

(2) श्रीमती अद्दकी सीतालक्ष्मी
(2) श्रीमती अद्दकी राजलक्ष्मी विजयवाडा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 31-3-77 मे पजीकृत दस्तावेज न० : 408/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77
मोहर.

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

स० नं० : 501—यतः मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11-33-7 है, जो विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-3-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती के० नसरम्मा, विजयवाडा ।

(अन्तरक)

(2) श्री (1) अद्दकी श्रीनिवासुलु (2) श्रीमती अद्दकी सुजाता, विजयवाडा।

(अन्तरिती)

(3) मैसर्स फैन केमिस्ट विजयवाडा।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० . 409/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
एम० बी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० नं० : 502—यत. मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 28/14 है, जो अनकापल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अनकापल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-4-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री जि० वेंकटा चलपतिराव (2) जि० हनुमन्तराव अनकापल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० नरसिंह मूर्ति, आनदपुरम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनकापल्ली रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० : 1076/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एम० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं2 नं० : 503—यतः मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 28/14 है, जो अनकापल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विसाखापटनम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-4-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जि० वेंकट चलपतिराव (2) जि० हनुमन्तराव, अनकापल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री सत्यवरपुसूर्यनारायण मूर्ती अनदपुरम। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विसाखापटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 मे पंजीकृत दस्तावेज नं० 833/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० नं० . 504—यतः मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 576 है, जो जुवलपालेम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उन्डी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-3-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कुमारी के० प्रमीलाराजु ए० ऐ० भीमवरम।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जि० कुष्टण्णेणी जुव्वलपालेम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उन्डी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 340/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकानाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

स० नं० . 505—यत मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 576 है, जो जुव्वलपालेम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उन्डी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) कुमारी के० प्रमीलाराजु, ऐ० ऐ० भीमवरम। (अन्तरक)

(2) श्री जि० पद्मराज, जुव्वलपालेम। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

उन्डी रजिस्ट्री अधिकारी से पॉक्षिक अत 31-3-77 पजीकृत दस्तावेज नं० . 364/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० बी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख 9-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर 1977

सं० नं० : 506—यन., मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है,

और जिसकी म० 111 है, जो अरटलकोटा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तुनि में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-3-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० नारयण मूर्ती, सत्यनारायणपुरम।

(अन्तरक)

2. (1) तुमु अप्पाराव (2) टि० चिट्टेय्या (3) टि० सूर्यनारायण (4) राम मूर्ती (5) जि० वीराबबायि अरटलकोटा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तुनि रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० : 557/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 9-11-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 9 नवम्बर, 1977

सं० न०: 507—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 24/1 और 24/2 रेस मिल है, जो काकिनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री के० वीरराजु (2) के० पदमनाभन किशोर (3) के० आत्मराम (4) के० गिरिजामोहन प्रसाद (5) के० वेंकायम्मा, काकिनाडा

(अन्तरक)

2 श्री बी० चन्नमय्या (2) बी० वीर भद्राराव (3) एन० नारायण सर्मा (4) जि० वेंकटारमण (5) जि० सत्यन्नारायण, काकिनाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज न०. 1043 से 1060 में निगमित रैस मिल मशीनरी के साथ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा।

तारीख. 9-11-77
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 11 नवम्बर 1977

सं० नं० 508—यत, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 34-1-3 है, जो काकिनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री पी० सुब्बारायुडु, (2) पी० नरसिंहमूर्ती काकिनाडा

(अन्तरक)

2. श्री एन० वीरराजु, काकिनाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-3-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 438/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० बी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 11-11-77

मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कार्यालय, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 11 नवम्बर 1977

स० नं० : 509—यत. मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी स० 34-1-2 है, जो काकिनाडा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-3-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या अन्य, या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री पी० सुब्बारायुडु (2) पी० अप्पाराव (3) पी० वेंकटराव, काकिनाडा।

(अन्तरक)

(2) श्री एन० वीरराज, काकिनाडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-3-77 मे पंजीकृत दस्तावेज नं० : 437/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 11-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनाक 11 नवम्बर 1977

सं० नं० : 510—यत: मुझे एन० के० नागाराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 34-1-2 है, जो काकिनाडा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) पी० सूर्यवेंकटा सुब्बमना (2) श्रपादा कातम्मा (3) श्रीमती मि० जानकी (4) पी० वेंकटरमण, काकिनाडा।

(अन्तरक)

(2) श्री एन० वीरराजु, काकिनाडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-3-77 मे पजीकृत दस्तावेज नं० : 436/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
एम० बी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 11-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 11 नवम्बर 1977

सं० नं० 511—यत: मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 34-1-4 है, जो काकिनाडा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकिनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पी० नारसिंहमूर्ती, काकिनाडा (अन्तरक)

(2) श्री एन० वीर राजु, काकिनाडा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-3-77 मे पंजीकृत दस्तावेज नं०: 435/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
एम० वी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख: 11-11-77
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनाक 11 नवम्बर, 1977

सं० नं० : 512—यत: मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 15/96 सी० जे० 31-22-38 है, जो राजमन्द्री मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्द्री मे भारतीय रजसि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-4-77

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री जि० वेंकटाराव मारकोन्डापाडु।

(अन्तरक)

(2) (1) श्री ऐ० येरपारेड्डी (2) ऐ० सी० एच० मेरकलचारेड्डी, राजमन्द्री ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सबंध मे कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

राजमन्द्री रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-4-77 मे पजीकृत दस्तावेज न० 1081/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
एम० बी० अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 11-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 11 नवम्बर, 1977

स० न० 513—यत मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 26-24 और 25-128 है, जो तनुकु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तनुकु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अब अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अत्तीलि डैनावति (2) अतिलि मुरकी कामराजु विमाकपटन ।

(अन्तरक)

(2) श्री (1) वि० कृष्णमूर्ती, (2) वी० श्रीराम-चन्द्रप्रसाद (3) वि० हरनाद (4) वि० वेंकट-स्वरलु, (5) वि० मानिक्याराक (6) वि० रविकुमार । तनुकु

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तनुकु रजिस्ट्री अधिकारी मे पाक्षिक अत 31-3-77 मे पजीकृत दस्तावेज न2 587/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
एम० बी० अर्जन रेंज काकिनाडा

तारीख 11-11-77
मोहर.

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 15th November 1977

No F 6/15/77-SCA(I) —The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint Shri M K Rao, Court Master, presently on deputation to Narmada Water Diputes Tribunal, New Delhi as Officiating Assistant Registrar with effect from the afternoon of 14 November, 1977 until further orders.

2 The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint Miss S. V Kashyap, Section Officer as Officiating Assistant Registrar with effect from the afternoon of 14 November, 1977 until further orders

R. SUBBA RAO,
Dy. Registrar (Admn.)

New Delhi, the 18th November 1977

No F 6/12/77-SCA(I).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint Shri Ramesh Sharma, Assistant presently on deputtaion to Sarkaria Commission of Inquiry New Delhi as Officiating Section Officer with effect from the afternoon of 17 November, 1977, until further orders

MAHESH PRASAD,
Asst. Registrar (Admn.)

New Delhi, the 19th November 1977

No. F. 22/78-SCA(G)—In pursuance of sub-rule (3) of rule 4 of Order II of Supreme Court Rules, 1966, as amended, the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct that the following days be observed as Court holidays, during the year 1978.

Name of Holiday	Date & Month	Day of the week	No. of Days
1	2	3	4
Republic Day	26 January	Thursday	1
Maha Shivratri	7 March	Tuesday	1
Good Friday	24 March	Friday	1
Holi	25 March	Saturday	1
Baisakhi	13 April	Thursday	1
Ramanavami	17 April	Monday	1
Mahavir Jayanti	21 April	Friday	1
Independence Day	15 August	Tuesday	1
Janamashtami	25 August	Friday	1
Idu'l Fitr	6 September	Wednesday	1
Mahatama Gandhi's Birthday	2 October	Monday	1
Dussehra	9 to 14 October	Monday to Saturday	6
Diwali	30 & 31 October	Monday & Tuesday	2
Gurunanak's Birthday	14 November	Tuesday	1
Christmas Holidays	18 to 30 December	Monday to Saturday	13

M. P. SAXENA
Registrar, Supreme Court of India

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 9th November 1977

No A.35017/1/75-Admn II.—In continuation of Union Public Service Commission Notification of even number dated 22-9-1975, Shri H. R Singh Section Officer of the Office of the A G C R, is appointed to officiate, on deputation basis, as Accounts Officer—a gazetted Class II post in General Central Service in the office of the Union Public Service Commission for a further period of one year with effect from 9-9-1977 or until further orders, whichever is earlier

P N. MUKHERJEE,
Under Secy
for Secy

New Delhi-110011, the 19th November 1977

No A 33012/1/75-Admn.II —On completion of his executive training in Manipur State, Shri L. B Sinate assumed the charge of the office of Section Officer in the C S.S. cadre of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 22nd October, 1977.

P. N. MUKHERJEE,
Under Secy.

ENFORCEMENT DIRECTORATE
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT

New Delhi, the 16th August 1977

No A-11/12/77.—Shri D N Bazaz, Inspector, Central Excise, Chandigarh is appointed to officiate as Enforcement Officer on transfer basis in Jullundur Zonal Office of this Directorate with effect from 6-8-1977(AN) and until further orders

The 25th August 1977

No A-11/19/77 —Shri Labh Singh, Inspector, of Income Tax, Patiala is appointed to officiate as Enforcement Officer on deputation in Jullundur Zonal Office of this Directorate with effect from 10-8-77(FN) and until further orders

The 24th October 1977

No A-11/24/77.—Shri G. S. Birdi Inspector of Central Excise Chandigarh is hereby appointed to officiate as Enforcement Officer on deputation in Jullundur Zonal Office of Directorate of Enforcement with effect from 10-10-77 and until further orders.

J. N. ARORA,
Dy. Director (Admn.)

New Delhi, the 17th ctober 1977

No. A-11/22/77.—Shri M. K Chakraborty, Superintendent, Calcutta Zonal Office is appointed to officiate as Chief Enforcement Officer in Calcutta Zonal Office of this Directorate w.e.f. 3-10-1977(FN) and until further orders

S B. JAIN, Director.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTOR GENERAL, CRP FORCE
New Delhi, the 16th November 1977

No. O II-227/69-Estt.—Consequent on his reversion to the post of Subedar, Shri Hema Ram relinquished charge of post of Deputy Superintendent of Police (Coy Comdr.) 20th Bn. CRPF on the forenoon of 28-10-77.

No D.I-12/77-Estt—On their services having been replaced at the disposal of the CRPF by the I.T.B.P. the following officers are appointed as Dy. S.P. (Coy Comdr.) in the units of this Force w.e.f. the dates noted against each :—

Sl. No.	Name of officer	Units to which posted	Date of appointment as Dy. S.P. on repatriation from ITBP
1	2	3	4
1.	Shri K.N. Lohani	23 Bn.	17-10-77
2.	Shri Om Prakash	42 Bn	25-10-77

No. D.I.-12/77-Estt.—On his services having been replaced at the disposal of the CRPF by the ITBP, Shri D C Kaushik is appointed as Dy S P. (Coy Comdr.) in GC. (Jammu) of this Force w e f. the forenoon of 22nd Oct. '77.

The 21st November 1977

No. O II-1333/76-Estt.—Consequent on his repatriation to Sikkim Police, Shri M. K Chhetri, relinquished charge of the post of Dy S. P. (Coy Comdr) 36th Bn CRPF on the after-noon of 16-10-77

No O II-23/77-Estt.—The President is pleased to appoint, on deputation, Shri R K Ohri, an IPS Officer of Union Territory Cadre as D.I.G. in the C R P Force

2 Shri Ohri took over charge of the post of Deputy Director, ISA, CRPF Mount Abu on the forenoon of 26th October 1977.

A K BANDYOPADHYAY,
Asstt Dir (Admn.)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)
New Delhi-1, the 21st November 1977

No A 38/15/75-Wireless.—Shri Jai Prakash Agarwal is appointed as Extra Assistant Director in the Directorate of Coordination (Police Wireless) in a temporary capacity in the scale of pay of Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- with effect from the forenoon of the 9th November, 1977 until further orders

C. P. JOSHI,
Director Police Telecom.

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
New Delhi-24, the 16th November 1977

No. E-16014(2)/4/77-Pers.—On transfer on deputation Shri K D Nayar IPS (UT-1967) assumed the charge of the post of Commandant CISF Unit FCI Naya Nangal with effect from the forenoon of 17th October 1977

No E-16016/2/77-Pers.—On transfer on deputation from Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, Shri M R Narota, Section Officer of that Ministry assumed the charge of the post of Section Officer in the office of Inspector General/CISF, New Delhi with effect from the afternoon of 27th October 1977

No. E-38013(3)/9/77-Pers.—On transfer Shri P. K Lahiri assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit OGP Durgapur with effect from afternoon of 7th October 1977 *vice* Shri N S Yadav Asstt Commandant who on transfer to Meghatuburu relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

L S BISHT
Inspector General, CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
New Delhi-110011, the 21st November 1977

No. 11/10/76-Ad. I.—The President is pleased to extend the *ad-hoc* appointments of the undermentioned officers as Deputy Directors of Census Operations in the offices of the Directors of Census Operations and for the respective periods mentioned against each of them or till the posts are filled up on regular b whichever is shorter :

S. No.	Name	Office of the Director of Census Operations	Headquarters	Period			Previous reference
1	2	3	4	5			6
1.	Shri Arvind Dange .	Sikkim	Gangtok	16-10-77	to	31-12-77	11-10-76 Ad. I dated 25-10-76
2.	Shri M. Thangaraju .	Tamil Nadu and Pondicherry	Madras	4-10-77	to	31-12-77	Do.
3.	Shri S. Rajendran . .	Goa, Daman & Diu	Panaji	8-9-77	to	31-12-77	11-10-76 Ad dt. 25-9-76
4.	Shri Jagdish Singh . . .	Delhi	Delhi	28-8-77	to	31-12-77	11-10-76 Ad dt. 25-2-77
5.	Shri Lal Krishan. .	Uttar Pradesh	Lucknow	6-8-77	to	31-12-77	11-10-76 Ad dt. 16-9-76
6.	Shri S.S.S. Jaiswal . .	Uttar Pradesh	Lucknow	10-11-77	to	31-12-77	11-10-76 Ad dt. 20-11-76
7.	Shri S.K. Agarwal . .	Himachal Pradesh	Simla	15-9-77	to	31-12-77	11-10-76 Ad. dt. 25-9-76

P. PADMANABHA, Registrar General, India

खान विभाग

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 17 नवम्बर 1977

सं० ए० 19012(88)/77-स्था० ए०—श्री एम० एन० माकोड़े स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग "ब" के पद में नियमित आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए० 19012/89/77-स्था०-ए०—श्री एस० सी० नेभानी, स्थाई वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग 'ब' के पद में नियमित आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए० 19012/101/77-स्था०-ए०—श्री के० बी० देशमुख, स्थाई वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग "ब०" के पद में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- के वेतन में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

एल० सी० रणधीर,
कार्यालय अध्यक्ष

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय

नई दिल्ली-110022, दिनांक 9 नवम्बर, 1977

सं० फा०-5 -7/77 अ० (प्रौ०) शि० नि०—शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से तबादला होने पर (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) श्री देस राज क० बहल को 14-7-1977 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिये 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त किया जाता है।

डी० एन० सक्सेना
निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1977

सं० 10/104/77-एस०-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एस० काशी विश्वनाथन को, दिनांक 17-10-77 से आकाशवाणी, त्रिचूरगढ़ में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सं० 10/68/77-एस०-3—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री जे० रंगैय्या को दिनांक 22-9-77 से दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 1977

सं० 4 (47)/77-एस०-1—महानिदेशक, आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री पीटर बीतार सिंह शेंगप्लयांग को आकाशवाणी कोहिमा में 3-10-1977 से अग्रेतर आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (82)/77-एस०-1—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री रघुबीर प्रसाद मीना को आकाशवाणी, बीकानेर में 15-9-1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1976

सं० ए 16-17/75-प्रशा०-1—समाज कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय डा० ए० बी० हीरामनी ने 19 अक्तूबर, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से उप सहायक महानिदेशक (अनुसंधान) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

(औषधि अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1977

सं० ए० 44014/3/77-डी०—अपना तबादला हो जाने के फलस्वरूप श्री डी० के० कुलकर्णी ने 30 सितम्बर, 1977 अपराह्न से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, कस्टम हाऊस कोचीन से तकनीकी अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और 12 अक्टूबर, 1977 पूर्वाह्न से केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, साताक्रुज हवाई पत्तन, बम्बई में तकनीकी अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर० बाल सुब्रह्मणयन
उप औषधि नियंत्रक
कृते स्वास्थ्य महानिदेशक

75. Dr. Harihar Padhi . . .	30-4-1977
76. Dr. A.M. Anto	30-4-1977
77. Dr. V.P. Gupta	30-4-1977
78. Dr. C.S. Mani	30-4-1977
79. Dr. Rajendra Pal Gupta . .	30-4-1977
Female Officers	
1. Dr. (Mrs.) B. Sarkar . . .	1-4-1960
2. Dr. (Mrs.) L. Chadha . . .	4-5-1965
3. Dr. (Mrs.) A. Cherian . . .	4-5-1965
4. Dr. (Mrs.) B. Barretto . . .	4-5-1965
5. Dr. (Mrs.) M.P. Paul . . .	4-5-1965
6. Dr. (Mrs.) J. Basu . . .	4-5-1965
7. Dr. (Miss) J.R. Barua . .	4-5-1965
8. Dr. (Mrs.) P. Chakraborty . .	4-5-1965
9. Dr. (Miss) Kamala Subaiya . .	4-5-1965
10. Dr. (Mrs.) Indu Dev . . .	14-2-1968
11. Dr. (Mrs.) S.A. Rao . . .	3-2-1971
12. Dr. (Mrs.) Gouri Bagchi (Nee Bhattacharya)	13-6-1971
13. Dr. (Miss) P. Bhatia . . .	01-1-1972
14. Dr. (Mrs.) S.A. Vaidya . .	31-8-1975
15. Dr. (Mrs.) M. Alphons . .	31-8-1975
16. Dr. (Mrs.) Geeta Shukla . .	31-8-1975
17. Dr. (Mrs.) Indurti Rukmini .	31-8-1975
18. Dr. (Mrs.) Sobha Khatri . .	31-8-1975
19. Dr. (Mrs.) A.S. Jaikumar . .	31-8-1975
20. Dr. (Mrs.) Ramni Khitha . .	31-8-1975
21. Dr. (Kum.) Premvathi . . .	1-7-1976

P. N. TRIKHA
Brig.
Director of Heath Services
for Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR
LABOUR BUREAU

Simla-171004, the 8th December 1977

No. 23/3/77-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1960=100 decreased by one point to reach 330 (Three hundred and thirty) during the month of October, 1977. Converted to base : 1949=100 the index for the month of October, 1977 works out to 401 (Four hundred and one).

A. S. BHARADWAJ
Joint Director

MINISTRY OF COMMERCE
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 16th November 1977

(IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL)

(ESTABLISHMENT)

No. 6/302/55-Admn(G)/8139.—The President is pleased to appoint Kumari S. K. Grewal, Deputy Chief Controller of Imports & Exports (Non-CSS) as Joint Chief Controller of Imports and Exports in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi purely on *ad hoc* and temporary basis for a further period of three months with effect from 1-10-1977 or till the regular arrangements are made, whichever is earlier.

The 17th November 1977

No. 6/417-56-Admn(G)/8192.—The President is pleased to appoint Shri Banarsi Das, a permanent Controller of Imports and Exports as Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Kanpur with effect from the forenoon of 16th July, 1977 until further orders.

K. V. SESHADRI
Chief Controller of Imports & Exports

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS
(ADMINISTRATION SECTION A.1)

New Delhi, the 19th November 1977

No. A.1/1(585)/III.—The President is pleased to appoint Shri V. S. Chawla, Deputy Director of Supplies (Grade II of the Indian Supply Service, Group 'A') in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi to officiate, on *ad hoc* basis, as Director of Supplies (Grade I of the Indian Supply Service, Group 'A') in the same Directorate General, at New Delhi with effect from the forenoon of the 5th November 1977 and until further orders.

SURYA PRAKASH
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL & MINES
(DEPTT. OF STEEL)
IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-20, the 28th October 1977

No. EI-19(6)/63(.).—On attaining the age of superannuation Shri Debaprasanna Sen Sarma, Asstt. Iron & Steel Controller, retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 1977.

A. C. CHATTOPADHYAY
Dy. Iron & Steel Controller
for Iron & Steel Controller

DEPARTMENT OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 7th November 1977

No. A.19012(88)/77-Estt.A.—Shri M. N. Makode, Permanent Senior Technical Assistant (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines, is promoted to officiate as Assistant Research Officer (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines in Group 'B' post on regular basis from the forenoon of 24th October, 1977, until further orders.

No. A.19012(83)/77-Estt.A.—Shri S. C. Nebhani, Permanent Senior Technical Assistant (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines, is promoted to officiate as Assistant Research Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines in Group 'B' post on regular basis from the forenoon of 24th October, 1977 until further orders.

No. A.19012(101)/77-Estt.A.—Shri K. B. Deshmukh, Permanent Senior Technical Assistant (Ore Dressing) Indian Bureau of Mines, is promoted to officiate as Assistant Research Officer (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines in in Group 'B' post in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- on *ad hoc* basis from the forenoon of 22nd, October, 1977 until further order.

L. C. RANDHIR
Head of Office

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE
DIRECTORATE OF NONFORMAL (ADULT) EDUCATION

New Delhi-110 022, the 9th October 1977

No. F.5-7/77-DNFE.—On Transfer (on deputation) from the Ministry of Education and Social Welfare, Shri Des Raj K. Behl is appointed to officiate as Administrative Officer in the Directorate of Nonformal (Adult) Education, New Delhi, in the pay scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 w.e.f. 14-7-1977 (F.N.) for a period of two years.

D. N. SAKSENA,
Director

DIRECTORATE GENERAL · ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 16th November 1977

No 10/104/77-SIII —The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri S Kasiviswanathan to officiate as Assistant Engineer at AIR, Dibrugarh w.e f 17-10-77.

No. 10/68/77-SIII.—The Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri J Rangaiah to officiate as Assistant Engineer at Doordarshan Kendra, Hyderabad w e f 22-9-77.

HARJIT SINGH
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi-1, the 18th November 1977

No 4(47)/77-SI —The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Peter Botar Singh Shangphiang as Programme Executive, All India Radio, Kohima in a temporary capacity with effect from 3rd October, 1977 and until further orders

No 4(82)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Raghuveer Prasad Meena as Programme Executive, All India Radio, Bikaner in a temporary capacity with effect from 15th September, 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ
Deputy Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 15th November 1977

No 16-17/75-Admn I —While proceeding on deputation to the Department of Social Welfare, Dr. A B. Hiramani relinquished charge of the post of Deputy Assistant Director General (Research) in the Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services on the forenoon of 19th October, 1977

S L KUTHIALA
Dy Director Administration (O&M)

DRUGS SECTION

New Delhi, the 19th November 1977

No A 44014/3/77-D.—Consequent upon his transfer, Shri D. K Kulkarni relinquished charge of the post of Technical Officer, Central Drugs Standard Control Organisation, Customs House, Cochin on the afternoon of 30th September, 1977, and assumed charge of the post of Technical Officer, Central Drugs Standard Control Organisation, Santa Cruz, Airport, Bombay, on the forenoon of the 12th October, 1977.

R. BALASUBRAMANYAN
Deputy Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

New Delhi, the 19th November 1977

No A 12026/5/77-DC.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri A K Khasnobis, Senior Scientific Assistant (Pharmacology), Central Drugs Laboratory, Calcutta, to the post of Associate Pharmacologist, in the same Laboratory with effect from the forenoon of 31st October, 1977 on an *ad hoc* basis and until further orders.

S. S. GOTHOSKAR
Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 15th November 1977

No. F.4-6(128)/77-A III.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Shri Mundai Ram, Senior Inspector has been appointed to officiate as Assistant Mraketing Officer (Group I) in this Directorate at Faridabad with effect from 3-11-77 (F N.), until further orders

V P CHAWLA
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam 603 102, the 3rd November 1977

No. 18(82)/77-Rectt.—Director, Power Projects Engineering Division, appoints S/Shri V R. Krishnamurthy and S S. Rao, temporary Scientific Assistants 'C' and Shri P. A Krishnan, temporary Supervisor (Electrical) as Scientific Officer/Engineers Grade 'SB' in this Project in a temporary capacity with effect from the forenoon of August 1, 1977 until further orders.

K. BALAKRISHNAN
Administrative Officer

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Anushakti-323303, the 19th November 1977

No. RAPP/Rect/7(8)/77/1542 —The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project hereby appoints Shri Naval Kishor Nagar, a permanent Upper Division Clerk of Power Projects Engineering Division and officiating Assistant Personnel Officer on *ad hoc* basis in Rajasthan Atomic Power Project to officiate as Assistant Personnel Officer in a temporary capacity in the same Project with effect from the forenoon of 19-10-1977 until further orders, Shri Nagar officiated as Assistant Personnel Officer on *ad hoc* basis from 17-8-1977 to 18-10-1977

No RAPP/Rect/7(8)/77-1543.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project hereby appoints Shri S. D. Mehta, a permanent Selection Grade Clerk of Power Projects Engineering Division to officiate as Assistant Personnel Officer in a temporary capacity in the Rajasthan Atomic Power Project with effect from the forenoon of 24-10-1977 until further orders Shri Mehta officiated as Assistant Personnel Officer on *ad hoc* basis from 14-1-1974 to 22-4-1976

GOPAL SINGH
Administrative Officer(E)
for Chief Project Engineer

TARAPUR ATOMIC POWER STATION

Maharashtra-401504, the 27th October 1977

No TAPS/2/767/70 —Consequent on his transfer to the Regional Purchase Unit of the Directorate of Purchase & Stores at Hyderabad *vide* DAE Office Order No. 20/5(1)/76-CCS dated October 11, 1977, Shri V. D. Choudhary, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accounts Officer in Tarapur Atomic Power Station is relieved of his duties in TAPS with effect from October 25, 1977 (Afternoon)

The 31st October 1977

No. TAPS/1/34(1)/77-R —The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, appoints Shri S. R. Radhakrishnan, a temporary Scientific Assistant (C) in the Tarapur Atomic Power Station as Scientific Officer/Engineer SB in the same Power Station in temporary capacity with effect from the forenoon of the August 1, 1977.

D V. MARKALE
Chief Administrative Officer

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 30th October 1977

No A. 32023/1/77/R-17221—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints Shri M Krishnamoorthy, a permanent Stenographer of the Bhabha Atomic Research Centre and officiating Selection Grade Stenographer of this Centre in an officiating capacity on an *ad hoc* basis as Assistant Administrative Officer for the period from 29-8-77 to 18-10-77 Shri Krishnamoorthy relinquished charge of the post of Assistant Administrative Officer on the forenoon of October 19, 1977

No. A 32023/1/77/R-17221.—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints Shri K M Velayudhan, an officiating Assistant Accountant of this Centre as Assistant Accounts Officer in an officiating capacity on an *ad hoc* basis with effect from the forenoon of August 12, 1977 until further orders.

R. H SHANMUKHAM
Administrative Officer
for Project Director

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 18th November 1977

No E(I)00949—The Director General of Observatories hereby appoints Shri Parduman Kumar Jain as Assistant Meteorologist, in the Indian Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 14th October, 1977 and until further orders.

Shri Jain is posted to Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi

G R. GUPTA
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd October 1977

No. A. 32013/6/76-ES—In continuation of this office Notification No. A. 32013/6/76-ES (I) dated the 4th July, 1977 the President is pleased to extend the ad hoc appointment of the undermentioned officers to the grade of Aircraft Inspector beyond 28-2-1977 and upto the date indicated against each or till regular appointments to the grade are made, whichever is earlier.

S. No.	Name of the Officer	Date
1.	Shri Anupam Bagchi	22-12-1977
2.	Shri S. Majumdar	27-12-1977
3.	Shri H M Phull	31-12-1977
4.	Shri L.A. Mahalingam	29-12-1977
5.	Shri A.K. Ray	31-12-1977
6.	Shri S.P. Singh	27-12-1977
7.	Shri D.P. Ghosh	22-12-1977

No. A 32013/6/76-ES(II).—In continuation of this office Notification No A. 32013/6/76-ES(II) dated the 4th July, 1977, the President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of the undermentioned officers to the grade of Senior Aircraft Inspector beyond 28-2-1977 and upto 31-12-1977 or till regular appointments to the grade are made, whichever is earlier.

S. No and Name

1. Shri S L Srivastava
2. Shri Philip Mathew

S. L KHANDPUR
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 15th November 1977

No A 12034/4/77-EA—Shri K Srinivasan, Assistant Aerodrome Officer, Madras Airport, Madras relinquished charge on the 31st October, 1977 (A.N.) on retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation

V V. JOHRI
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 17th November 1977

No A.32013/8/77-EC—The President is pleased to appoint Shri Kishu Teckchandani, Assistant Director of Communication (Planning) Headquarters, Civil Aviation Department as Controller of Communication on *ad hoc* basis with effect from the 12th October, 1977 (FN) for a period of one year or till the post is filled on regular basis whichever is earlier and to post him at Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi.

The 19th November 1977

No A 32014/1/77-EC—In continuation of Serial No 1 of this Department Notification No A 32014/1/77-EC, dated the 13th April, 1977, the Director General of Civil Aviation is pleased to sanction the continued *ad hoc* appointment of Shri Y. B Bhopatkar as Assistant Communication Officer, ACS, Bombay during the period from 6-4-77 to 7-8-77 *vice* Shri P. I. David, Assistant Communication Officer granted earned leave.

S. D. SHARMA
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Rasi Tyre Company Private Limited

Madras-600006, the 16th November 1977

No. 5521/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rasi Tyre Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

C. ACHUTHAN
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Universal Equipments Private Limited

Bombay, the 19th November 1977

No. 12611/560(3)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Universal Equipments Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Vijaya Bharati Publications Private Limited

Bombay, the 19th November 1977

No 17251/560(3)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof

the name of the M/s. Vijaya Bharati Publications Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SHRI RAM
Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
R S Gupta Steel Rolling & General Mills Private Limited

Jullundur, the 19th November 1977

No G/Stat/560/3354/9099.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the R S Gupta Steel Rolling & General Mills Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved

S P. TAYAL
Registrar of Companies
Pb., H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Geeta Tubes Private Limited

Orissa, the 19th November 1977

No. A 501/77-4019(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Geeta Tubes Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Conak Trading Corporation Private Limited

Orissa, the 19th November 1977

No A 186/77-4018(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Conak Trading Corporation Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved

D K PAUL
Registrar of Companies
Orissa

INCOMETAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-400 020, the 1st November 1977

No F 48-Ad(AT)/77-PII.—Shri Niranjan Dass, officiating Assistant Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Amritsar Bench, Amritsar on *ad hoc* basis in a temporary capacity in the time-scale of Rs 650--30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- for a period of three months with effect from the forenoon of 17th October, 1977 or till the post is filled up on regular basis by appointment of a nominee of the Union Public Service Commission, whichever is earlier

The above appointment is *ad hoc* and will not bestow upon Shri Niranjan Dass, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

The 8th November 1977

No F 48-Ad(AT)/77-Part II.—The resignation of Shri R. D Yadvendu, officiating Assistant Registrar in the Income-tax Appellate Tribunal, Indore Bench, Indore is hereby accepted with effect from the forenoon of 17th June, 1976 as per the terms of his letter dated 30-9-77

S RANGANATHAN
President

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

Dharwar, the 30th November 1977

CORRIGENDA

Notice No 172/76-77/Acq, dated 31-3-1977.—The transferors names published on page No. 1828 (English) in Part-III, Section 1 of the Gazette of India dated 16-4-1977 may please be read as under :

(1) Shri B Venkataramiah Alias A Puttiah should *read* as Shri B. Venkataramiah alias Appaiah,
and

(2) Shri B. Nagaraja Rao should *read* as Shri B. V. Nagaraja Rao.

Notice No. 193/77-78/Acq, dated 18-10-1977.—The transferors names and addresses published on page Nos 5058 and 4979 in English and Hindi version respectively in Part-III Section 1 of the Gazette of India, dated 5-11-1977 may please be read as under —

(1) Smt K Soundammal

(2) Shri K Thamodharan,

(3) Shri K Lakshminarayanan,
Residing at Raja Street, Komarapalayam,
Salem District, (Tamil Nadu)

D C RAJAGOPALAN
Inspecting Asstt Commissioner
of Income-tax, Acq Range, Dharwar

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 9th November 1977

Ref No LDH/C/91/76-77—Whereas, I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Ludhiana
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No Plot measuring 1298 sq yds No B-23/67/1, situated at Industrial Area 'A', Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in March, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) M/s Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd,
236, Industrial Area 'A', Ludhiana

(Transferor)

(2) M/s Knitting Machineries Syndicate India Private Ltd, through Shri Dinesh Gupta, Managing Director, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Portion in property No. B-23/67/1, Industrial Area 'A', Ludhiana

(Property as mentioned in the Registered Deed No 2714 dated March, 1977 of the Registering Authority, Ludhiana)

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana.

Date : 9-11-1977
Seal

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUDHIANA CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 9th November 1977

Ref No LDH/C/86/76-77.—Whereas, I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. Plot measuring 972-1/3 sq yds. situated at Industrial Area 'A', Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 108) in the Office of Registering Officer at Ludhiana in March, 1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd,
236, Industrial Area 'A', Ludhiana.

(Transferor)

(2) M/s. New Era Woollen Mills Private Ltd;
Industrial Area 'A', Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 972-1/3 sq yds. situated at Industrial Area 'A', Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered deed No 2658 of March, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana)

NATHU RAM
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 9th November 1977

Ref No. LDH/C/84/76-77.—Whereas, I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No Plot measuring 972-1/3 sq yds situated at Industrial Area 'A', Ludhiana, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at Ludhiana in March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

10—366GI/77

(1) M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd,
236, Industrial Area 'A', Ludhiana
(Transferor)

(2) M/s. New Era Woollen Mills Private Ltd
Industrial Area 'A', Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 972-1/3 sq yds, situated at Industrial Area 'A', Ludhiana

(Property as mentioned in the Registered Deed No 2634 of March, 1977 of the Registering Officer, Ludhiana)

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 9th November 1977

Ref. No PAT/3/77-78 —Whereas I, NATHU RAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Plot No 5/B, situated at Model Town, Patiala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Patiala in March, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Lt. Com Sunder Singh Bawa, s/o Bawa Gurdial Singh,
INS Navy Engineer,
R/o Shaheed Bhagat Singh Road,
Bombay.

(Transferor)

(2) Smt. Pritam Kaur Pandher, w/o Shri Tejwant Singh Pandher (Ltd),
R/o 5-B, Model Town, Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 1,333 sq yds, No. 5/B situated in Model Town, Patiala

(Property as mentioned in the Registered Deed No 5866 of March, 1977 of the Registering Authority, Patiala.)

NATHU RAM
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ludhiana

Date 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 14th November 1977

Ref. No 7/MAR/77.—Whereas, I, A. T. GOVINDAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 7 situated at Mundy Street, Vellore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vellore (Doc No. 624/77) in March, 1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. A K. Desabandhu Mudaliar,
2. A Kuppusamy Mudaliar,
3 A. K. D Raja Sabapathi,
4 A K D Dakshinamurthi,
No. 109, Arugadampoondi Selavanpalayam Street, Thottapalayam, Vellore, North Arcot district.
(Transferor)

(2) Shri M Sundaresan,
S/o Shri M. E Manicka Mudaliar,
80, Sunnambukara Street, Vellore
(Transferee)

(3) Indian Bank
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1112 sft & 4 sq. in with building thereon at door No 7 (Survey Nos. 355 and 463), Mundy Street, Vellore 632003

A. T GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date. 14-11-1977.
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 14th November 1977

Ref. No. 8/MAR. 77—Whereas, I, A T. GOVINDAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 7 situated at Mundy Street, Vellore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Vellore (Doc. No 623/77) in March, 1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property in as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) 1 A K Desabandhu Mudaliar,
2 A K D Raja Sabapathi;
3. D. Jagadesan
4. A K. D. Dakshinamurthi,
No 109, Arugadampoondi Selavanpalayam Street, Thottapalayam, Vellore, North Arcot district.
(Transferor)

(2) Shri M. E Manicka Mudaliar,
80, Sunnambukara Street, Vellore
(Transferee)

(3) Indian Bank
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1112 sft & 4 sq in with building thereon at door No 7 (Survey Nos. 355 and 463), Mundy Street, Vellore 632003.

A. T. GOVINDAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 14-11-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 14th November 1977

Ref. No. 9/MAR/77.—Whereas, I, A T. GOVINDAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and
bearing No 7 situated at Mundy Street, Vellore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Vellore (Doc No 622/77) in March, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 A. K Desabandhu Mudaliar,
2. A K D Raja Sabapathi,
3 Jagadesan
4 A K D. Dakshinamurthi,
No 109, Arugadampoondi Selavanpalayam Street, Thottapalayam, Vellore, North Arcot district.
(Transferors)

(2) Shri M Shanmugam,
80, Sunnambukara Street, Vellore.
(Transferee)

(3) Indian Bank
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1112 sft & 4 sq in with building thereon at door No 7 (Survey Nos. 355 and 463), Mundy Street, Vellore 632003

A T GOVINDAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 14-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 16th November 1977

Ref.No 19/MAR/77—Whereas, I, A T. GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 89/2 & 92, situated at Olakka Chinnanur village, Salem district
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), **has been transferred under the Registration Act, 1908 (16** of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sankaridurg Doc No. 183/77) in March, 1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Marappa Goundar,
2. Smt. Rajammalw/o Shri Marappa Goundar,
3 Miss Rajammal (minor) by father & guardian Sl. No 1,
4 Smt. Thangammal, W/o Raja Goundar,
5 Raja Goundar } by mother &
6. Un-named male child } guardian Sl. No. 4,
7. Smt Palani Ammal, W/o Ganesa Goundar,
8. Un-named male child, by mother & guardian Sl. No. 7,
Olakka Chinnanur village, Salem district.
(Transferor)

(2) 1 Shri Sendraya Nadar,
2 Shri Ramasami,
3. Smt. Karuppayammal, W/o Sl No 1
4. Smt Sampoornam, W/o Sl No 2,
Olakka Chinnanur, Sankari taluk,
Salem district.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 4 acres and 38½ cents in survey Nos 89/2 (3 38½ acres), and 92 (1 acre) (with undivided 1/3rd share in wells in S No 92), at Olakka Chinnanur village, Salem district

A. T. GOVINDAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 16-11-1977
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 16th November 1977

Ref. No 23/MAR/77.—Whereas, I, A. T GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 7 situated at Vinayakar Koil Street, Keeranoor, Palani taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Palani (Doc. No 157/77) in March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such appartent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs M A Meharunnisa,
W/o Shri M. K. M Abdus Hathi,
No. 27, Shanmugapuram, Palani

(Transferor)

(2) Shri M S. Abdul Salem,
No. 7, Jupiter House,
Vinayagar Koil Street,
Keeranur, Palani taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 15,240 sft. with building thereon at door No 7 (Survey No 130/1C1C), Vinayagar Koil Street, Keeranoor, Palani taluk

A. T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 16-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref. No 22/MAR/77.—Whereas, I A T GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. 217A, 216C, 216D & 216E situated at Vandikkaran Street, Main Road, Ramanathapuram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ramanathapuram (Doc. No. 89/77) on March, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A Chandrasekara Nadar,
Velipattinam Ramanathapuram.

(Transferor)

(2) Smt Saffuran Jameela,
D/o A S Abdul Kareem,
Kusavankudi, Ramnad district

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with building thereon at door Nos 217A, 216C, 216D and 216E, Vandikkaran Street, Main Road, Ramanathapuram

A. T. GOVINDAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 17-11-1977,
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref No. 31/MAR/77—Whereas, I, A T. GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at Veppadi village, Yercaud, Salem district
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Yercaud (Doc No 39/77) on 23-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

11—366GI/77

(1) Shri M Sivadoss Menon,
Golden Valley Estate,
Nagalur P O Yercaud.
(Transferor)

(2) Smt. P Shantha,
W/o late T. Pounrajan,
Shantha Valley Estate,
Assambur P.O. Yercaud.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 16 acres and 18 cents at Veppadi village, Yercaud, Salem district bearing the following R.S. Nos.

R S No. 5/2	2.00 Acres
R S No 6/1	0 03 Acres
R S. No 6/2	2.36 Acres
R S. No. 7	2.25 Acres
R S. No. 8/2	1.98 Acres
R.S. No. 10/3	1.95 Acres
R.S No 11/2	0 04 Acres
R S. No 12	5.42 Acres
R S. No 13/2	0.15 Acres
Total	16.18

A T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 17-11-1977.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(D) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref No 33/MAR/77—Whereas, I, A. T GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kilaraja Kularaman (Doc No 144/77) on March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kandasami, Coimbatore

(Transferor)

(2) Shri Arumuga Perumal

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Properties covered by Document No 144/77 registered with the sub-registrar, Kilaraja Kularaman, during March, 1977

A. T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 17-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref. No 35/MAR/77—Whereas, I, A T. GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at Narasingapuram village, Salem district
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Athur (Doc No 404/77) on 25-3-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chella Mooppar alias Chinnappan,
Smt. Guruvayammal,
W/o Chinnappan,
Shri Asaithambi,
S/o Chinnappan,
Narasingapuram, Athur taluk

(Transferor)

(2) Shri Muthusami Goundar,
S/o Karuppanna Goundar,
Narasingapuram Salem district.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 7 acres and 46 cents in survey Nos 399/4D (0.85 acre), 399/4G (0.69 acre), 399/1E (0.22 acre), 399/5 (0.74 acre), 403/1D (4.67 acres) and 499/4D (0.29 acre) with one well and 7½ HP motor pumpset in S No 499/4D, at Narasingapuram village, Athur taluk, Salem district.

A. T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 17-11-1977.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref. No. 38/MAR/77.—Whereas, I, A. T GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No situated at Kasturipatti and Sankari villages land more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sankari (Doc. No 189/77) on March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) 1. Smt Regina Rathnam,
2 Smt Ruby Susanna Devi,
3. Smt. Philominal,
Door No 1,13 19, Old Edappadi Road,
Chinna Goundanoor village,
Sankari town, Salem district.
(Transferor)

(2) Shri P. Palanisami Goundar,
Alfred Thottam,
Sankari village, Sankari town,
Salem district.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/10th undivided share out of undivided 1/11th share in the following properties

I. Kasturipatti village:			
	survey no	6/1	2.86 acres with well
	"	6/2	2.52 "
II. Sankary village:			
	survey no	172/1	7.83 " "
	"	172/2	7.58 "
	"	172/4	4.06 " (with well)
	"	172/5	1.31 "
	"	216/1	12 40 "
	"	116/2	8 30 "
	"	237/2	0 72 " (with buildings—salem-Bhavani Road). Undivided
III	"	233/1	3/10th/share out of 1/11th undivided share in one wel
IV	"	543/1	3/10th undivided share out of 1/11th undivided share in land measuring 164'1102' together with buildings and fittings thereon at old Edappadi Road

A. T. GOVINDAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 17-11-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref. No. 39/MAR/77—Whereas, I, A. T. GOVINDAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/-, and bearing Survey No. 141/1 situated at Kasturipatti village, Salem district (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sankaridrug (Doc No 191/77) on March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) M/s Nachiappa & Co, by partners M/s—
1. C Subramaniam,
2. S Shanmugam,
3. S. Sengottuvelu,
4 Dr. K Kandasamy,
5 K. Venkatesan,
6 Dr. C. Nachiappan,
Swarnapuri, Salem-4.

(Transferor)

(2) Shri S. Balakrishnan,
No 78, No 1 Road, S V A Extension,
Tiruchengode, Salem district

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to theundersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6.30 acres with buildings thereon at Survey' No 141/1, Kasturipatti village, Salem district.

A. T. GOVINDAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 17-11-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 17th November 1977

Ref No 42/MAR/77—Whereas, I, A. T. GOVINDAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 309/1B & 309/1A situated at Melvisharam, North Arcot district (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Arcot (Doc No 469/77) in March, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. M. Subramania Goundar,
Smt. Valliammal,
Pillar Koil Street,
Rasathupuram village,
Walaja taluk.

(Transferor)

(2) Shri T. M. Abdul Gafoor,
Dargа Street,
Melvisharam village,
Walaja taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agricultural Lands measuring 5 acres and 77 cents in survey Nos. 309/1B (0.77 acres) and 309/1A (5 acres with one well, 3 HP motor pumpset, 22 coconut trees, 42 palm trees, etc.,) at Melvisharam village, Walaja taluk

A. T GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date 17-11-1977.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 19th November 1977

Rel No F 4270/77-78 —Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No 83 Annamalai Chettiar Road situated at S R P Nagar, Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhipuram (Doc No. 289/77), on 21-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr A Mohan Rao
S/o Shri A. Narayana Rao
Plot No 82, Raja Annamalai Chettiar Road,
S R. P Colony
Coimbatore

(Transferor)

(2) Smt Kamala
W/o Shri B. Jeevanchand Jain
No 27 Raja Annamalai Chettiar Road,
S. R P Colony
Coimbatore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 5000 sq. ft. (with building) and bearing Door No 83, Annamalai Chettiar, Road, S. R. P Nagar, Coimbatore (Doc No 289/77 SRO, Gandhipuram)

K PONNAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 19th November 1977

F. No 5503/76-77 —Whereas, I, K. Ponnan being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/105 Mount Road, Madras, situated at 1/3rd share in the land and the entire ground floor construction (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR III, Madras North (Doc. No 732/77) on 23-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction o revasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. The Madras Investments and Construction Corporation, No. 112, Lloyds Road, Madras

(Transferor)

(2) Mrs N Jamila
W/o Shri H R. Noor Mohamed
No. 35, Showkat Ali Street,
Koothanallur, Thanjavar Dt

(Transferee)

*(3) M/s. Biny Ltd

(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons-whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in the land and the entire ground floor construction situated at No. 1/105 Mount Road, Madras-18.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range-II, Madras-6.

Date 19-11-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 19th November 1977

Ref. No. F 5503/76-77 —Whereas, I, K. Ponnan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/105 Mount Road, Madras situated at (2/3rd share in land and the entire first & second floors)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
JSR III, Madras North (Doc 733/77), on 23-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I Hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Investments & Construction Corporation, No 112, Lloyds Road, Madras-86

(Transferor)

(2) Shri N R Noor Mohamed,
No 17A, Savia Street,
Koothanallur, Tanjore Dist

(Transferee)

*(3) State Bank of India.

(Persons in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

2/3rd share in the land and the entire first and second floor constructions situated at door No. 1/105, Mount Road, Madras-18.

K PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 19-11-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 19th November 1977

Ref No. F 5568/77-78—Whereas I, K. Ponnan being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 15, Mahalingam Chetty Street situated at Nungambakkam, Madras-34

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at T/Nagar, Madras (Doc No. 237/77) on 28-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Rajan
No. 17/1 Abhiramapuram 4th St.,
Madras-18.

(Transferor)

(2) Dr. C. V. Krishnan
represented by Power Agent Shri C. V. Mani
45/1 South West Boag Road,
Madras-17.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1 Ground & 220 Sft. (with building) situated at Door No. 15, Mahalingam Chetty Street, Nungambakkam, Madras-34. (Doc. No. 237/77 T. Nagar, Madras).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 19-11-1977.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

IAC ACQ. R-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 23rd November 1977

Ref. No. AC-26/Acq/R-IV/Cal/77-78.—Whereas, I, P. P. Singh
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No situated at Mouza Biswanthpur P. S.—Deganga, 24-Parganas
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Alipore, 24-Pgs. on 11-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kumudbandhu Chatterjee
(Transferor)

(2) Shri Jayendra Kumar Sukhlal Shah Trustee
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 32 Acre together with two storied building thereon measuring 11,200 Sft. situated at Mouza Biswanathpur P.S Deganga, Dist. 24-Pgs. more particularly as per deed No 1491 dated 11-3-1977.

P. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range IV, Calcutta-16.
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 23-11-1977.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 19th November 1977

Ref No IAC/Acq.I/SR.III/31/May-I(5)/77-78/4089.—Whereas, I, J S GILL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. M-182 situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of at New Delhi on May 1977,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S K Taparia (Adopted) S/o (Late) Sh. Bishamber Sahai, r/o, C-2/23, Safdarjung Enclave, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Dewan Kuldip Singh s/o Shri Diwan Chand, c/o Shri Ramesh Sakhuja, r/o N-82, Greater Kailash-I, New Delhi-48

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. 182, Block No. 'M' measuring 300 sq yds. in the residential Colony known as Greater Kailash-II, New Delhi in the limits of Delhi Municipal Corporation, Village Bahapur, Delhi State and bounded as under :—
East . Road
West : Service Lane
North : Plot No. M-180
South : Plot No M-184

J. S GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi

Date : 19-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 19th November 1977

Ref. No. IAS/Acq I/SR III/48/May-II(18)/77-78/4089.—Whereas, I, J S. GILL being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No C-II/151 situated at Lajpat Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at New Delhi on May 1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rameli Bai, wd/o. Sh. Thakur Dass, r/o Shop No. 10, Nizammudin West, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ish Kumat Chawla, s/o Sh. Chhatta Ram Chawla, r/o C-II/151, Lajpat Nagar, New Delyhi

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

A lease-hold quarter No. C-II/151, measuring 100 sq yds. situated at Lajpat Nagar, New Delhi and bounded as under :—

East . Road
West : Lane
North . Qr. No. 150
South : Qr. No. 146.

J. S. GILL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 19-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 19th November 1977

Ref. No IAC/Ac.I/SR III/28/April-II(26)/77-78/4089 — Whereas, I, J S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No K-35 situated at Jungpura Extension, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on May, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Amar Nath, s/o Sh. Prabhu Dayal, and Sh Daya Nand, s/o Sh. Ghela Ram, both r/o. K-35, Jungpura Extension, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Moinuddin, s/o. Sh Azimuddin and Smt. Zakaria Begum, w/o Sh Abdul Aziz, r/o 2418, Turkaman Gate, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 200 sq. yds. bearing No. 35, Block No. 'K' situated at Jungpura Extension, New Delhi

J. S GILL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi.

Date . 19-11-1977

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 8th November 1977

Ref. No AP- No. 54/BTI/77-78 —Whereas, I, P N Malik, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No As per schedule situated at Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar, in March 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chander Mohan s/o Smt Laaj Rani d/o. Sh Gopal Dass, r/o. Abohar.
Smt. Kiran Rani d/o Smt Laaj Rani, r/o. Abohar
(Transferor)

(2) Shri Gopi Lal s/o Shri Pahu Lal s/o Sh Pyare Lal, r/o Abohar.
(Transferee)

*(3) As per S No. 2.
(Person in occupation of the property).

*(4) Anybody interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house on an area of 130 sq yards and 6 sq. ft situated at Abohar as mentioned in registration deed No 2326 of March, 1977 registered with the S R Abohar

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range, Bhatinda

Date : 8-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 8th November 1977

Ref. No AP No. 55/BTI/77-78 —Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Moga Mehla Singh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Moga in March, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said, Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Shri Vaid Jaswant Singh s/o Sh Kirpal Singh s/o Sh Gulab Singh, r/o Moga Mehla Singh, Moga.
(Transferor)

(2) Dr Balbir Kaur Dhaliwal w/o Dr Manmohan Singh Dhaliwal, Dhaliwal Hospital, Partap Road, Moga.
(Transferee)

(3) As per S No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Anybody interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immoable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 Kanal 12 Marlas situated in Moga Mehla Singh as mentioned in registration deed No 7373 registered with the S R. Moga

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range, Bhatinda.

Date : 8-11-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 8th November 1977

Ref. No. AP No. 56/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No As per Schedule situated at Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar in March 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

13—366GI/77

(1) Shri Gurditta Ram s/o Sh Bhagwan Dass s/o Shri Dhanna Ram, r/o Jain Nagri, Abohar (Transferor)

(2) Shri Dewan Chand s/o Shri Gobind Lal, s/o. Shri Nidha Ram, r/o. Street No. 13, Abohar. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above (Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned known to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One residential house in an area of 100 sq ft. situated at Jammu Basti, Abohar, as mentioned in sale deed No. 2441 of March, 1977 with the S. R. Abohar.

P. N MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range, Bhatinda.

Date : 8-11-1977.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 4th November 1977

Ref. No. AP-57/BTI/77-78.—Whereas, I, P N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Mansa (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mansa in April, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Atma Ram s/o. Shri Daulat Ram, r/o Gali Ram Piari Wali, Ward No. 1, Mansa

(Transferor)

(2) Shri Mohan Lal s/o Sh Ram Sarup c/o M/s. Garg Sound Service, Court Road, Mansa

(Transferee)

(3) As per S No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Anybody interested in the property.
(Person whom the undersigned known to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in shop-cum-residential building at Mansa as mentioned in registration deed No. 28 of April, 1977 registered with the S. R. Mansa.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range, Bhatinda.

Date : 4-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 4th November 1977

Ref. No. AP-58/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No As per Schedule situated at Mansa (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mansa in April, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Atma Ram s/o. Sh. Daulat Ram, r/o Gali Ram Piari Wali, Ward No 1, Mensa. (Transferor)

(2) Shri Hari Ram s/o Shri Ram Sarup, C/o M/s Garg Sound Service, Mansa. (Transferee)

(3) As per S No. 2 above. (Person in occupation of the property).

(4) Anybody interested in the property. (Person whom the undersigned known to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in shop-cum-residential building at Mansa at mentioned in registration deed No 27 of April, 1977 registered with the S.R. Mansa.

P. N MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiton Range, Bhatinda.

Date . 4-11-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR
SARAF CHEMBER, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 16th November 1977

Ref No IAC/ACQ/50/77/78.—Whereas, I,
H C SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.
Plot No. 22, House No. 814, Reshambagh Layout, Nagpur situated at Nagpur
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nagpur on 16-6-77
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Marotrao Devaji Khadatkar
Saraipeth, Nagpur.
(Transferor)

(2) 1 Smt Narmadabai Dhondbaji Tikle,
Saraipeth, Nagpur.

2. Smt Vimalabai Yadaorao Kukde,
Kanholibara, Tal. & Distt. Nagpur.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No 22, House No 814, Reshambagh Layout, Nagpur

H. C SRIVASTAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur

Date : 16-11-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 18th November 1977

Ref No Acq/379-A/Meerut/77-78.—Whereas, I,
R. P. BHARGAVA
being the Competent Authority under section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.
Number as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mawana on 21-4-1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aoresaid property by the issue o this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Jarina Begum W/o Atikulla Khan
R/o Sathla, Parg Hastinapur,
Teh Mawana, Meerut.

(Transferor)

(2) Shri Munshi Lal S/o Ram Sharan Das
and Smt. Ramo Devi W/o Munshi Lal
R/o Bhagwanpur, Parg Kithaur
Teh. Mawana, Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land mensuring 511.1.1 Bighas situated at Vill. Bhagwanpur, Teh. Mawana, Distt. Meerut, Transferred for an Apparent consideration of Rs. 34,000/-.

R P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date . 18-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 18th November 1977

Ref. No Acq/384-A/Meerut/77-78 —Whereas, I, R. P. BHARGAVA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- Number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 23-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Yogendra Singh S/o Nain Singh R/o Vill. Hasanpur, Parg Kithaur, Present Address : Vill. Gangasuna, Parg. Hastinapur, Teh Mawana, P O. Phalwada, Distt. Meerut.

(2) S/Shri Hansraj, Jaipal, Rajpal, Sheeshpal and Raj Singh Ss/o Shive Charan Badle, Sukhveer Singh and Mule Singh, Ss/o Jeet Singh Badle R/o Vill. Gangasuna, Parg. & Teh. Mawana, P.O Phalwada, Meerut.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agrl. land bearing Khasra No. 466-A, measuring 7 Bigha, 18 Biswa and 13 Biswansi and Khasra No 466-B, measuring 11 Biswansi situated at Vill. Gangasauna, Parg Hastinapur, Teh. Mawana, Distt. Meerut transferred for an apparent consideration of Rs. 45,056/25.

R P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 18-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No. Acq. File No. 493 —Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 5-82-25 situated at Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 29-4-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Jagarlappudi Satyanarayana M/G father J. Satyanarayana
2 J. Prakash
3 J. Laxmi Srinivas
4 J Vijayakumar
5 J Nataraj GPA Holder Sri J Laxmi Subrahamnyasarma, Mangalgiri.
6 J. Laxmisubrahmanya Sarma
7. J. Sivaramakrishna Prasad, C/o Agent, Central Bank, Nizamabad.

(Transferor)

(2) Ginjupalli Purnachandrarao, Principal, Purna Tutorial College, Pandaripuram, Guntur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1822/77 registered before the Sub-Registrar, Guntur during the fortnight ended on 30-4-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No Acq. File No. 494.—Whereas, I, N. K NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No 4/2 & 3 situated at Kovvali (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Eluru on 14-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Korlipara Varalaxmamma, W/o Viswanatha Venkatachalam, Denduluru, Eluru Taluk, W G D.T.
(Transferor)

(2) Alla Satyanarayana, Vatluru, Eluru Taluk
(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 623/77 registered before the Sub-Registrar, Eluru during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No. Acq. File No 495—Whereas, I,
N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. 4/2 & 3 situated at Kovvali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Eluru on 14-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

—366GI/77

(1) Smt Kollipara Varalaxmamma,
W/o Viswanatha Venkatachalam,
Dendulutu, Eluru Taluk, W.G D T.

(Transferor)

(2) Kommana Srivenugopala Vebkata Subbarao,
S/o Venkataramaiah,
Vatlauru, Eluru Taluk

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 622/77 registered before the Sub-Registrar, Eluru during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No. Acq File No 496—Whereas, I, N K. NAGARAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 13/289 situated at Gudivada (and more fully, described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gudivada on 4-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Puligadda Veera Venkata Subbamma,
W/o Veeraiah Naidu
Retired Head Constable,
22nd Ward, Seetharamapuram,
Vijayawada

(Transferor)

(2) Mallireddy Brahmareddy,
S/o Veeraraghavareddy,
New Railway Colony,
Moulali, Hyderabad-40.

(Transferee)

(3) 1. P Parabrahmanadarao,
2 R. S. Prakasarao,
3 N. Narasimhachari
Gudivada.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 337/77 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 69D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No. Acq. File No. 497.—Whereas, I,
N. K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No 5-10-14 situated at Guntur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Guntur on 31-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kethaiaju Janaki,
W/o Subbarao,
Machilipatnam, Krishna District.
(Transferor)

(2) Mikkineni Satyavathi,
W/o Sitaramadas,
Door No 5-10-14, Brodipeta, Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 1172/77 registered before the Sub-Registrar, Guntur during the fortnight ended on 31-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No. Acq File No 498.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs 25,000/- and bearing No
26-15-154 situated at Vizag
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Visakhapatnam on 14-3-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bayya Narasimha Sarma,
S/o B. S. Mahadeva Sastry,
Krishnanagar, Door No. 15-10-3,
Visakhapatnam-II.

(Transferor)

(2) 1. Shri Khemchand Mankani,
By L/R Naraindas Mankani,
2 Naraindas Mankani,
Sonia, Main Road,
Vizag.

(Transferee)

(3) 1 M/s Ramesh Silk House,
2. M/s Sonia,
3 M/s. Sevasandan Chit Funds,
4. M/s. Vogue Tailors,
Main Road, Visakhapatnam

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 601/77 registered before the Sub-Registrar, Visakhapatnam during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No. Acq File No 499—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
26-15-154 situated at Vizag
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Visakhapatnam on 25-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bayya Narasimha Sarma,
S/o B S. Mahadeva Sastry,
Krishnanagar, Door No 15-10-3,
Visakhapatnam-II.
(Transferor)

(2) 1. Shri Khemchand Mankani,
By L/R Narandas Mankani,
2. Narandas Mankani,
Sonia, Main Road,
Vizag.
(Transferee

3 M/s Sevansadan Chit Funds,
2 M/s Sonia,
3. M/s. Sevasandan Chit Funds,
4 Vogue Tailors,
Main Road, Visakhapatnam.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 1038/77 registered before the Sub-Registrar, Visakhapatnam during the fortnight ended on 30-4-1977

N K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date 9-11-1977
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 296D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No Acq File No. 500.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No
11-33-7 situated at Vijayawada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayawada on 21-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely .—

(1) Smt. Kanigicharla Nasaramma,
W/o Late Satyanarayana,
Tatakulavari Street,
Vijayawada-I.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Addanki Sitalaxmi,
W/o Late Venkata Subbaiah,
2. Smt. Addanki Rajyalaxmi,
W/o Siva Koteswararao,
C/o Vijaya Medical Distributors,
Tatakulavari Street,
Vijayawada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 408/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the fortnight ended on 31-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date . 9-11-1977
Seal .

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No. Acq. File No. 501.—Whereas, I, N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No 11-33-7 situated at Vijaywada
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Vijayawada on 21-3-77
for an apparent consideration which is less than the fair **market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more** than fifteen per cent of such apparent consideration and **that the consideration for such transfer as agreed to between** the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Kanigicharla Nasaramma
w/o Satyanarayana,
Tatakulavari Street,
Vijayawada-I

(2) 1 Addanki Srinivasulu,
S/o Venkata Subbaiah
2 Smt. Addanki Sujata,
W/o Krishnarao,
C/o Vijaya Medical Distributors,
Tatakulavari Street,
Vijayawada-I

(3) M/s Fine Chemist,
Vijayawada-I.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered Document No 409/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the fortnight ended on 31-3-1977

N. K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 9-11-1977
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref. No Acq File No. 502.—Whereas, I, N K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
Asst. 28/14 situated at Anakapalli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anakapalli on 13-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Gandhi Venkata Chalapathirao,
2 G Hanumantharao,
C/o Auto General Engineering Co,
Main Road, Anakapalli
(Transferor)

(2) Sh Satyavarapu Narasimhamurty,
S/o Venkatarayulu,
Anandapuram, Varada (P O),
Chodavaram Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 1076/77 registered before the Sub-Registrar, Anakapalli during the fortnight ended on 15-4-1977.

N. K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No. Acq.FileNo.503.—Whereas, I, N. K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Asst 28/14 situated at Anakapalli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anakapalli on 13-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—366GI/77

(1) 1. Grandhi Venkata Chalapathirao,
2 G. Hanumantharao,
C/o Auto General Engineering Co,
Main Road, Anakapalli.

(Transferor)

(2) Satyavarapu Suryanarayanamurty, S/o Narasimhamurty Anandapuram VARADA (PO) Chodavaram Taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered Document No 833/77 registered before the Sub-Registrar, Anakapalli during the fortnight ended on 15-4-1977

N. K NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No Acq. File No 504.—Whereas, I, N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
R S No 576 situated at Juvvalapalem
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Undi on 21-3-1977
for apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as against to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Km Kosuri Prameelaraju,
D/o Sitaramaraju,
At-Bhimavaram,
Bhimavaram Taluk, W.G. Dt.
(Transferor)

(2) Smt Gadiraju Krishnaveni,
W/o Padmaraju,
Juvvalapalem,
Bhimavaram Taluk, W.G Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered Document No. 340/77 registered before the Sub-Registrar, Undi during the fortnight ended on 31-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No. Acq. File No 505.—Whereas, I, N. K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
R S No. 576 situated at Juvvalapalem
(and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Undi on 21-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely.

(1) Km Kosuri Prameelaraju,
D/o Sitaramaraju,
At-Bhimavaram,
Bhimavaram Taluk, W.G. Dt. (Transferor)

(2) Shri Gadiraju Padmaraju,
S/o Suryanarayanaraju,
Juvvalapalem,
Bhimavaram Taluk, W.G Dt (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered Document No 340/77 registered before the Sub-Registrar, Undi during the fortnight ended on 31-3-1977.

N. K NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTION ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No Acq File No 506.—Whereas, I, N K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
111 situated at Aratlakota
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at
Tuni on 18-3-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mullapudi Narayana Murty,
S/o Sriramulu
Satyanarayanapuram,
Hamlet of Ankapalli.
(Transferor)

(2) 1. Tumu Apparao,
S/o Venkata Swamy
Aratlakota, Vellamanchili Tq, Vizag Dist.
2 T Chitteyya,
Aratlakota, Vellamanchili Tq., Vizag Dist.
3. T Suryanarayana
Aratlakota, Vellamanchili Tq, Vizag Dist.
4 Ramamurty
Aratlakota, Vellamanchili Tq, Vizag Dist
5 Gamasala Verrabbai,
S/o Tammanna
Aratlakota, Vellamanchili Tq, Vizag Dist
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 557/77 registered before the Sub-Registrar, Tuni during the fortnight ended on 31-3-77

N K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 9-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 9th November 1977

Ref No. Acq File No 507—Wheras, I, N K. NAGARAJAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
R S No 24/1 and 24/2 Rice Mill,
situated at Kakinada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kakinada on 30-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by, the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Kosaru Veeraraju,
2 K. Padmabhushna Kishore
3 K. Shanmugaram,
4. K Girijamohanprasad,
5 K. Venkayamma,
W/o Ramaswamy,
J C Pur, Kakinada

(Transferor)

(2) 1 Batchu Chalamaiah,
2 B. Veerabhadrarao,
3 Nookala Narayanasarma
4 Grandhi Venkataramana,
5 G. Satyanarayana,
Warf Road, Kakinada

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. between 1043 to 1060 registered before the Sub-Registrar Kakinada during the fortnight ended on 31-3-1977. (Entire Rice Mill including machinery).

N K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspcting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada

Date 9-11-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 11th November 1977

Ref.o No Acq. File No. 508—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
34-1-3 situated at Kakinada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kakinada on 15-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) 1. Parupudi Subbaraidu,
2. Parupudi Narasimhamurty,
Temple Street, Kakinada.
(Transferor)

(2) Shri Narkedamilli Veerraju,
S/o Sitaramaswamy,
Kakinada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 438/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 11-11-1977
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 11th November 1977

Ref. No. Acq.File No 509—Whereas, I,
N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act').
have reason to believe that the immovable property
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 34-1-2 situated at Kakinada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Kakinada on 15-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. P. Subbaraidu
2 P. Bapurao
3. P Venkatarao
M/G father P. Subbaraidu,
Tilak Street, Kakinada.
(Transferor)

(2) N Veerraju,
Kakinada
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 437/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 11-11-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 11th November 1977

Ref. No. Acq File No 510—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 34-1-2 situated at Kakinada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on 15-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of ths notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1 P. Suryavenkatasubbama, W/o late Baburao

2. Sreepada Kantamma, W/o Jogarao
3. Bhamidipati Janaki W/o Suryanarayana
4. Smt. P. Venkataramana, W/o Murali GPA Holder P. Subbaraidu, Temple St, Kakinada.

(Transferor)

(2) N. Veerraju, Kakinada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 436/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada during the fortnight ended on 15-3-1977.

N K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 11-11-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 11th November 1977

Ref. No. Acq. File No. 511 —Whereas, I,
N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B,
of the Income-tax Act., 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 34-1-2 situated at Kakinada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Kakinada on 15-3-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) P. Narasimhamurty,
Temple Street, Kakinada.

(Transferor)

(2) N. Veerraju,
Kakinada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 435/77 registered before the Sub-Registrar, Kakinada during the fortnight ended on 15-3-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date . 11-11-1977
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 11th November 1977

Ref. No. Acq. F. No. 512—Whereas, I,
N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 15/96 CJ 31-22-38 situated at Rajahmundry (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on 6-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Gangisetti Venkatarao,
S/o Subbarayudu,
Markondapadu, W.G. Dt.

(Transferor)

(2) 1 A. Yerrayyareddi,
2. Sri A Ch. Yerikalayyareddi,
C/o Hotel Apsara, Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1081/77 registered before the Sub-registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 15-4-1977

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 11-11-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 11th November 1977

Ref No Acq F No. 513.—Whereas, I,
N K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 26-24 & 25-128 situated at Tanuku
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tanuku on 30-3-77
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) 1. Attili Hymavathi,
W/o Dr Ramasubrahmanyam.
2 Mr. A Murali Kamaraju,
S/o Dr Ramasubrahmanyam
"Saradamba" Ganjipet Junction,
Visakhapatnam-2

(Transferor)

(2) 1. Vobilisetti Krishnamurty,
S/o Venkateswarlu
2 V Sreeramachandraprasad,
3 V Haranadh,
4 V. Venkateswarlu,
5 V. Manikyarao,
6 V Ravikumar,
Minors by guardian father
Sri V Venkateswarlu

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 587/77 registered before the Sub-Registrar,, Tanuku, during the fortnight ended on 31-3-77

N K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax
Acquisition Range, Kakinada

Date . 11-11-1977
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977